

परिशिष्ट 1.1 भाग (अ)

(राज्य के सामाजिक संकेतक देखें; पृष्ठ 1)

राज्य के आर्थिक एवं सामाजिक संकेतक

अ. सामान्य आंकड़े

क्र.सं.	विवरण	आंकड़े	
1	क्षेत्रफल	3,42,239 वर्ग किमी	
2	जनसंख्या		
	अ	2001 की जनगणनानुसार	5.65 करोड़
	ब	2011 की जनगणनानुसार	6.85 करोड़
3	जनसंख्या घनत्व 2001 (अखिल भारतीय घनत्व = 325 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	165 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.	
	जनसंख्या घनत्व [^] 2011 (अखिल भारतीय घनत्व = 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी)	200 व्यक्ति प्रति वर्ग किमी.	
4	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या * (बीपीएल) (अखिल भारतीय औसत = 21.9 प्रतिशत)	14.7 प्रतिशत	
5	अ	कुल साक्षरता (2001) (अखिल भारतीय औसत = 65.4 प्रतिशत)	60.4 प्रतिशत
	ब	कुल साक्षरता (2011) (अखिल भारतीय औसत = 73.0 प्रतिशत) [@]	66.1 प्रतिशत
6	शिशु मृत्यु दर ^{**} (2017) (प्रति 1000 जीवित जन्मों पर) (अखिल भारतीय औसत = 33 प्रति 1000 जीवित जन्मों पर)	38	
7	जन्म पर जीवन प्रत्याशा ^{**} (2012-16) (अखिल भारतीय औसत = 68.7 वर्ष)	68.3 वर्ष	
8	वर्तमान दर पर 2018-19 का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी)	₹ 9,29,124 करोड़	
9	प्रति व्यक्ति जीडीपी/जीएसडीपी चक्रवृत्ति वार्षिक वृद्धि दर (सीएजीआर) 2011-12 से 2018-19	राजस्थान	9.9 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	11.0 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	10.4 प्रतिशत
10	जीडीपी/जीएसडीपी सीएजीआर (2011-12 से 2018-19)	राजस्थान	11.5 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	12.2 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	11.7 प्रतिशत
11	दशकीय जनसंख्या वृद्धि (2009 से 2019) [#]	राजस्थान	15.2 प्रतिशत
		सामान्य श्रेणी के राज्य	12.5 प्रतिशत
		अखिल भारतीय	12.8 प्रतिशत

ब. वित्तीय आंकड़े[§]

सीएजीआर एवं वार्षिक वृद्धि के सम्बन्ध में	सीएजीआर		सीएजीआर		वार्षिक वृद्धि		
	2009-10 से 2017-18		2013-14 से 2017-18		2017-18 से 2018-19		
	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	सामान्य श्रेणी के राज्य	राजस्थान	
	(प्रतिशत में)						
(क)	राजस्व प्राप्तियाँ	15.0	17.4	13.5	14.3	12.8	8.3
(ख)	स्व-कर राजस्व	14.8	15.1	11.2	10.9	12.7	13.4
(ग)	कर-भिन्न राजस्व	9.9	16.8	7.5	3.8	19.8	18.2
(घ)	कुल व्यय	14.2	17.6	13.9	16.9	12.7	11.8
(ङ)	पूँजीगत व्यय	13.5	18.9	15.4	10.8	11.9	(-) 4.8
(च)	शिक्षा पर राजस्व व्यय	13.4	14.2	10.7	14.9	9.4	29.7
(छ)	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	16.5	19.0	17.6	20.6	11.1	21.6
(ज)	वेतन एवं मजदूरी	11.7	13.1	10.5	16.2	11.0	32.4
(झ)	पेंशन	16.1	14.0	13.8	15.6	14.3	46.5

[^] सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की वेबसाइट सांख्यिकी वार्षिक पुस्तिका 2018 की तालिका 2.3

* आर्थिक समीक्षा 2018-19, खण्ड 2, पृष्ठ (क) 168-169, तालिका 9.8

[@] आर्थिक समीक्षा 2018-19, खण्ड 2, पृष्ठ (क) 164, तालिका 9.4^{**} आर्थिक समीक्षा 2018-19, खण्ड 2, पृष्ठ (क) 160, तालिका 9.1[#] वर्ष 2001-2026 के लिए भारत एवं राज्य के जनसंख्या प्रक्षेपण (दिसम्बर 2006 में संशोधित) पर जनसंख्या (1 अक्टूबर 2001-2026 को लिंगानुसार कुल अनुमानित जनसंख्या) राष्ट्रीय आयोग द्वारा जनसंख्या प्रक्षेपण पर गठित तकनीकी समूह की रिपोर्ट की तालिका-14 से लिए गये हैं।[§] वित्तीय आंकड़े राज्य सरकार के वित्त लेखे पर आधारित हैं।

परिशिष्ट 1.1 भाग (ब)

(राज्य के सामाजिक संकेतक देखें; पृष्ठ 1)

राज्यों की उपलब्धियाँ

क्रम संख्या	राज्य	सामाजिक आर्थिक मापदंड						वित्तीय मापदंड														
		जीएसडीपी	प्रतिव्यक्ति जीएसडीपी	गरीबी रेखा से नीचे जनसंख्या वर्ष 2011-12 (प्रतिशत में)	साक्षरता दर (प्रतिशत में) वर्ष 2011	शिशु मृत्यु दर प्रति 1000 जीवित जन्म (2017)	जन्म पर जीवन प्रत्याशा (2012-16) (वर्ष में)	राजस्व प्रविष्टियाँ	राजस्व प्रविष्टियाँ / जीएसडीपी	कर राजस्व	कर भिन्न राजस्व	कुल व्यय	कुल व्यय/ जीएसडीपी	पूँजीगत व्यय	शिक्षा पर राजस्व व्यय	स्वास्थ्य पर राजस्व व्यय	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण पर कुल व्यय	वेतन एवं मजदूरी	पेंशन	सामाजिक सेवाएँ व्यय	आर्थिक सेवाएँ व्यय	विकासात्मक व्यय
	राज्य	2018-19	2018-19	2011-12	2011	2017	2012-16	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19	2018-19
1	आन्ध्र प्रदेश	933402	180745	9.2	67	32	69.6	114671	12.29	90818	4396	150477	16.12	19976	19342	7225	7400	35240	15291	68469	40687	109156
2	बिहार	557490	47541	33.7	61.8	35	68.7	131793	23.64	29408	4131	147426	26.44	21058	26689	5427	7318	19968	16038	62838	42560	105397
3	छत्तीसगढ़	311660	108058	39.9	70.3	48	64.8	65095	20.89	44886	7703	73555	23.60	9144	12512	3543	3757	17808	5429	25319	31805	57124
4	गोवा	77172	502420	9.9	88.7	8	68.5	11881	15.40	8257	2869	16010	20.75	4189	2048	864	1030	2407	1112	6471	5263	11734
5	गुजरात	1501496	232329	16.6	78	30	69.5	136002	9.06	80103	13417	162548	10.83	28062	23597	6120	9984	11456	18295	59961	44991	104952
6	हरियाणा	707126	250701	11.2	75.6	30	69.4	65885	9.32	42581	7976	93218	13.18	15307	12672	3678	4011	20361	8140	33548	30510	64058
7	झारखण्ड	307581	82430	36.9	66.4	32	67.2	56152	18.26	38658	8258	62829	20.43	10712	7288	3123	3396	12138	5991	20424	23910	44334
8	कर्नाटक	1535224	231491	20.9	75.4	25	69.1	164979	10.75	96830	6773	203446	13.25	39147	23424	8369	9477	28129	15109	80169	74359	154528
9	केरल	781653	225484	7.1	94	10	75.1	91623	11.72	50654	10552	119074	15.23	7431	18571	6847	7099	32514	19012	40169	19616	59785
10	मध्य प्रदेश	809327	99783	31.7	69.3	47	65.4	145152	17.93	42176	13291	170855	21.11	29420	26174	6521	7738	27274	11984	64681	61385	126066
11	महाराष्ट्र	2660318	191827	17.4	82.3	19	72.2	278996	10.49	187436	15844	303616	11.39	35049	50922	11969	13006	32084	26545	114556	82079	196634
12	उड़ीसा	485376	107107	32.6	72.9	41	67.6	99546	20.51	30318	14277	109816	22.63	23318	15797	4697	5703	19567	10520	40972	41890	82861
13	पंजाब	521861	170432	8.3	75.8	21	72.5	62269	19.32	31574	7582	79177	15.17	2412	10103	3143	3244	20885	10089	19368	20411	39778
14	राजस्थान	929124	121581	14.7	66.1	38	68.3	137873	14.84	57380	18603	187524	20.18	19638	34595	11362	11861	49790	20396	72836	59736	132572
15	तमिलनाडू	1664159	215049	11.3	80.1	16	71.4	173741	10.44	105534	14199	227989	13.7	24311	32984	11758	12489	43394	27993	79210	60354	139564
16	तेलंगाना	865688	226264	9.2	66.5	28	71.3	101420	11.72	83235	10007	128435	14.84	22641	11504	4913	6089	22329	11477	51959	41524	93483
17	उत्तर प्रदेश	1542432	68792	29.4	67.7	41	64.8	329978	21.39	120122	30101	370494	24.02	62463	47657	15843	18103	90263	44024	102362	121382	223744
18	पश्चिम बंगाल	1177586	119637	20	76.3	24	70.8	145975	12.40	60732	3658	180957	15.37	23717	28365	8440	9678	41541	16063	76462	46212	122674
	राजस्थान की श्रेणी	8	11	8	17	14	13	7	9	9	2	5	8	12	3	4	4	2	4	6	6	5
	श्रेणी की पद्धति	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	न्यूनतम से विशालतम	विशालतम से न्यूनतम	न्यूनतम से विशालतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम	विशालतम से न्यूनतम

परिशिष्ट 1.2 भाग-अ

(अनुच्छेद 1.1 देखें; पृष्ठ 2)

सरकारी लेखों की संरचना एवं स्वरूप

सरकारी लेखों की संरचना:

राज्य सरकार के लेखे तीन भागों में रखे जाते हैं (i) संचित निधि, (ii) आकस्मिकता निधि और (iii) लोक लेखा।

भाग I: संचित निधि: राज्य सरकार द्वारा प्राप्त समस्त राजस्व, ट्रेजरी बिल जारी कर लिये गये समस्त कर्जे, आन्तरिक एवं बाह्य कर्जे तथा ऋणों के पुर्नभुगतान में सरकार को प्राप्त समस्त राशियों से एक समेकित निधि का गठन होता है जिसे भारत के संविधान की धारा 266(1) के अन्तर्गत स्थापित “राज्य की समेकित निधि” नाम से जाना जाता है।

भाग II: आकस्मिकता निधि: संविधान की धारा 267(2) के अन्तर्गत गठित राज्य की आकस्मिकता निधि, राज्यपाल के पास उपलब्ध एक प्रकार का अग्रदाय है जिसमें से वे विधानमण्डल से प्राधिकार प्राप्त होने तक अत्यावश्यक अप्रत्याशित व्यय को पूरा करने हेतु अग्रिम प्रदान कर सके। इस प्रकार के व्यय तथा समेकित निधि से ऐसी समतुल्य राशि के आहरण हेतु विधानमण्डल की स्वीकृति बाद में प्राप्त की जाती है, जिससे आकस्मिकता निधि से लिये गये अग्रिम निधि की प्रतिपूर्ति की जाती है।

भाग III: लोक लेखा: कुछ लेन-देनों से संबंधित प्राप्तियाँ एवं संवितरण यथा-लघु बचतें, प्रावधायी निधियाँ, आरक्षित निधियाँ, निक्षेप, उंचंत, प्रेषण, इत्यादि, जो कि समेकित निधि के भाग नहीं हैं, को संविधान की धारा 266(2) के अन्तर्गत लोक लेखा में सम्मिलित किया जाता है एवं यह राज्य विधानमण्डल द्वारा मतदान के अध्याधीन नहीं है।

स्रोत: सरकारी लेखांकन नियम, 1990

परिशिष्ट 1.2 भाग-ब

(अनुच्छेद 1.1 देखें; पृष्ठ 2)

वित्त लेखों का खाका

वित्त लेखों को दो खण्डों में विभाजित किया गया है। खण्ड 1 सरकार के वित्तीय विवरणों का सारांशीकृत रूप में प्रतिनिधित्व करता है, जबकि खण्ड 2 विस्तृत वित्तीय विवरण का प्रतिनिधित्व करता है।

विवरण संख्या	खाका
खण्ड 1 में भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रमाण-पत्र, लेखाओं से टिप्पणियों सहित लेखांकन की नीतियों एवं तेरह सारांशीकृत विवरण सम्मिलित हैं, जैसाकि नीचे दिया गया है:	
1	वित्तीय स्थिति का विवरण: सरकार की 2018-19 के अन्त में परिसम्पत्तियों एवं देयताओं के संचयी आंकड़े।
2	राज्य की समेकित निधि, आकस्मिकता निधि और लोक लेखे के अन्तर्गत वर्ष के दौरान राज्य की समस्त प्राप्तियों और वितरणों का सारांश।
3	राजस्व तथा पूँजीगत प्राप्तियाँ एवं सरकार को उधारों से प्राप्तियाँ जिसमें भारत सरकार से ऋणों की प्राप्तियाँ तथा सरकार द्वारा बाजार से उठाये गये कर्ज सम्मिलित हैं, का सारांश।
4	राजस्व एवं पूँजीगत व्यय तथा राज्य द्वारा उठाये गये पुनर्भुगतान ऋण कार्यकलाप और प्रकृति के अनुसार व्यय का सारांश।
5	कार्यकलाप के अनुसार वर्ष 2018-19 के अंत तक प्रगामी व्यय प्रदर्शित करने वाला पूँजीगत परिव्यय का सारांशीकृत विवरण।
6	राज्य के ऋण की स्थिति जिसमें आन्तरिक ऋण, भारत सरकार से उधार, अन्य देयताएँ और ऋण सेवा सम्मिलित हैं, का सारांश।
7	राज्य सरकार द्वारा वर्ष के दौरान दिये गये कर्जों और अग्रिमों, किये गये पुनर्भुगतान, बकाया रही वसूलियों, इत्यादि का सारांश।
8	अंश पूँजी में राज्य सरकार के निवेशों का सारांश।
9	सांविधिक निगमों, स्थानीय निकायों तथा अन्य संस्थाओं द्वारा लिये गये कर्जों आदि के पुनर्भुगतान के लिए सरकार द्वारा दी गई प्रत्याभूतियों का सारांश।
10	राज्य सरकार द्वारा दिये गये सहायतार्थ अनुदान का विवरण पत्र, जिन्हें अनुदानित संस्थाओं द्वारा समूहवार व्यवस्थित रखा गया है।
11	वर्ष के दौरान हुए व्यय का प्रभारित तथा दत्तमत के मध्य वितरण।
12	राजस्व लेखा के अतिरिक्त निधियों के स्रोतों तथा अनुप्रयोगों का सारांश लेखा।
13	समेकित निधि, आकस्मिकता निधि एवं लोक लेखा के अन्तर्गत शेषों का सारांश।
खण्ड 2 का भाग I: इस भाग के खण्ड I में दिये गये विवरणों के अनुसार लघुशीर्षों द्वारा लेन-देनों का विवरण प्रस्तुत करने वाले नौ विवरण हैं:	
14	लघुशीर्ष वार राजस्व एवं पूँजीगत प्राप्तियों का ब्यौरेवार लेखा।
15	राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार राजस्व व्यय का लेखा तथा गत वर्ष के आँकड़ों से तुलना।

विवरण संख्या	खाका
16	राज्य निधि एवं केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत पृथक-पृथक लघुशीर्ष वार पूंजीगत व्यय का लेखा तथा गत वर्ष के आंकड़ों से तुलना। वर्ष के अन्त तक संचयी पूंजीगत व्यय भी प्रदर्शित किया गया है।
17	लघुशीर्ष वार उधारों, सभी कर्जों के परिपक्व और पुनर्भुगतान की रूपरेखा का ब्यौरेवार लेखा।
18	राज्य सरकार द्वारा दिये गये कर्जों और अग्रिमों, वर्ष के दौरान अदा किये गये कर्ज की राशि, 31 मार्च 2019 को शेष का ब्यौरेवार लेखा।
19	वर्ष 2018-19 के अन्त तक सांविधिक निगमों, सरकारी कम्पनियों, अन्य संयुक्त पूंजी कम्पनियों, सहकारी बैंकों और समितियों इत्यादि में राज्य सरकार के निवेशों का ब्यौरेवार लेखा।
20	राज्य सरकार द्वारा दी गयी ईकाई वार जमानतों का विवरण।
21	आकस्मिकता निधि तथा अन्य लोक लेखा संव्यवहार का ब्यौरेवार लेखा।
22	लोक लेखा के अन्तर्गत आरक्षित निधियों के पृथक रक्षित शेषों में निवेश का ब्यौरा।
खण्ड 2 का भाग II: वित्त लेखे के भाग II में वेतन, अर्थ-सहाय्य, योजनावार एवं संस्था-वार सहायतार्थ अनुदान, बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का विवरण, मुख्य केन्द्रीय तथा राज्य की आयोजनागत योजनाओं इत्यादि के संबंध में योजनावार व्यय का विस्तृत विवरण 12 परिशिष्टों में दिया गया है।	

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.3

(अनुच्छेद 1.2 देखें; पृष्ठ 3)

वर्ष 2018-19 में प्राप्तियों एवं संवितरणों का सार

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
I. राजस्व प्राप्तियाँ	1,27,307.18	1,37,873.02	I. राजस्व व्यय	1,45,841.52	1,48,762.37	18,010.82	1,66,773.19
कर राजस्व	50,605.41	57,380.34	सामान्य सेवाएँ	43,450.36	54,301.95	62.11	54,364.06
			सामाजिक सेवाएँ	53,064.07	54,188.14	11,498.78	65,686.92
कर-भिन्न राजस्व	15,733.72	18,603.01	शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	26,668.08	28,849.39	5,745.05	34,594.44
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	9,342.12	9,971.41	1,390.91	11,362.32
संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	37,028.01	41,852.35	जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	7,229.44	6,808.92	806.70	7,615.62
			सूचना एवं प्रसारण	69.21	152.14	-	152.14
आयोजना-भिन्न अनुदान	-	-	अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	1,327.99	1,001.05	500.12	1,501.17
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	-	-	श्रम तथा श्रम कल्याण	548.71	597.38	1.30	598.68
			समाज कल्याण तथा पोषण	7,799.81	6,742.27	3,054.70	9,796.97
			अन्य	78.71	65.58	-	65.58
केन्द्र एवं केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये अनुदान	(-)0.12	-	आर्थिक सेवाएँ	49,326.98	40,272.19	6,449.93	46,722.12
			कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियाँ	5,113.55	7,906.56	469.78	8,376.34
			ग्रामीण विकास	15,014.94	6,286.39	5,087.15	11,373.54
केन्द्र प्रवर्तित योजनायें	16,103.48	13,316.88	विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	1.74	1.54	0.45	1.99
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,057.07	1,689.04	8.08	1,697.12
वित्त आयोग अनुदान	4,262.40	3,121.46	ऊर्जा	23,455.73	21,207.49	-	21,207.49
			उद्योग तथा खनिज	348.25	271.17	-	271.17
राज्यों/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्रों को अन्य अंतरण/अनुदान	3,574.28	3,598.98	परिवहन	2,177.41	1,142.65	683.95	1,826.60
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	19.84	15.60	6.33	21.93
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	1,138.45	1,751.75	194.19	1,945.94
			सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	0.11	0.09	-	0.09
योग	1,27,307.18	1,37,873.02	योग	1,45,841.52	1,48,762.37	18,010.82	1,66,773.19
II. अनुभाग-ख को अप्रेनीत किया गया राजस्व घटा	18,534.34	28,900.17	II. अनुभाग-ख को अप्रेनीत राजस्व अधिशेष	-	-	-	-
योग	1,45,841.52	1,66,773.19	योग	1,45,841.52	1,48,762.37	18,010.82	1,66,773.19
III. स्थायी अग्रिम तथा रोकड़ शेष निवेश सहित प्रारम्भिक रोकड़ शेष	8,112.46	9,376.99	III. भारतीय रिजर्व बैंक से प्रारम्भिक ओवरड्राफ्ट	-	-	-	-

(₹ करोड़ में)

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
IV. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	16.61	20.13	IV. पूँजीगत परिव्यय	20,623.28	16,794.30	2,843.90	19,638.20
			सामान्य सेवाएँ	527.14	457.36	130.90	588.26
			सामाजिक सेवाएँ	7,221.37	4,862.32	2,050.43	6,912.75
			शिक्षा, खेलकूद, कला एवं संस्कृति	514.62	462.73	357.49	825.22
			स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	657.44	422.86	76.31	499.17
			जलापूर्ति, सफाई, आवास तथा शहरी विकास	5,526.40	3,803.79	1,379.88	5,183.67
			सूचना एवं प्रसारण	2.48	1.98	-	1.98
			अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	277.44	66.95	214.77	281.72
			समाज कल्याण तथा पोषण	28.56	14.97	21.98	36.95
			अन्य	214.43	84.04	-	84.04
			आर्थिक सेवाएँ	12,874.77	11,474.62	662.57	12,137.19
			कृषि तथा सम्बद्ध गतिविधियाँ	391.01	359.08	46.78	405.86
			ग्रामीण विकास	653.00	231.50	-	231.50
			विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	386.28	153.46	124.90	278.36
			सिंचाई तथा बाढ़ नियंत्रण	2,188.38	2,228.50	183.02	2,411.52
			ऊर्जा	3,916.22	3,969.15	-	3,969.15
			उद्योग तथा खनिज	13.16	22.13	-	22.13
			परिवहन	4,539.32	3,854.36	307.12	4,161.48
			विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा पर्यावरण	3.04	1.06	-	1.06
			सामान्य आर्थिक सेवाएँ	784.36	655.38	0.75	656.13
			योग	20,623.28	16,794.30	2,843.90	19,638.20
V. कर्जे एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	15,133.41	15,158.41	V. संवितरित कर्जे तथा अग्रिम	1,334.02	-	-	1,113.09
विद्युत परियोजनाओं से	15,057.07	15,056.96	विद्युत परियोजनाओं के लिए	341.57	-	-	176.79
सरकारी कर्मचारियों से	(-) 0.55	0.07	सरकारी कर्मचारियों को	- ¹	-	-	-
अन्य से	76.89	101.38	अन्य को	992.45	-	-	936.30
VI. अद्योनीत राजस्व अधिशेष	-	-	VI. अद्योनीत राजस्व घाटा	18,534.34	-	-	28,900.17
VII. लोक ऋण प्राप्तियाँ	28,556.57	37,846.82	VII. लोक ऋण का पुर्नभुगतान	11,673.66	-	-	16,914.80
बाह्य ऋण	-	-	बाह्य ऋण	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के	26,999.67	35,204.94	मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के	11,040.39	-	-	16,137.32

¹ ₹ 0.24 लाख

प्राप्तियाँ	2017-18	2018-19	संवितरण	2017-18	2018-19		
					राज्य निधि	केन्द्रीय सहायता	योग
अतिरिक्त आन्तरिक ऋण			अतिरिक्त आन्तरिक ऋण				
मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	मार्गोपाय अग्रिम के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्ज तथा अग्रिम	1,556.90	2,641.88	भारत सरकार को कर्ज तथा अग्रिम का पुर्नभुगतान	633.27	-	-	777.48
VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	VIII. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-	-	-
IX. आकस्मिक निधि को अन्तरित राशि	-	-	IX. आकस्मिकता निधि से व्यय	-	-	-	-
X. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,56,811.26	1,70,527.88	X. लोक लेखा संवितरण	1,47,088.02	-	-	1,60,570.22
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	9,345.61	12,848.83	अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	6,144.84	-	-	7,465.97
आरक्षित निधियाँ	3,465.86	4,150.19	आरक्षित निधियाँ	2,629.45	-	-	3,583.29
उच्चत तथा विविध	51.35	7.69	उच्चत तथा विविध	78.64	-	-	64.50
प्रेषण	1,345.05	2,429.44	प्रेषण	1,334.86	-	-	2,420.02
जमा तथा अग्रिम	1,42,603.39	1,51,091.73	जमा तथा अग्रिम	1,36,900.23	-	-	1,47,036.44
XI. भारतीय रिजर्व बैंक से अन्तिम ओवरड्राफ्ट	-	-	XI अन्त में रोकड़ शेष	9,376.99	-	-	5,793.75
			खजाने में रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 6.46	-	-	(-) 12.27
			रिजर्व बैंक के पास जमाये	11.09	-	-	(-) 64.45
			स्थायी अग्रिम सहित विभागीय रोकड़ शेष	3.93	-	-	3.73
			रोकड़ शेष निवेश	6,401.72	-	-	2,154.46
			चिन्हित निवेश निधियाँ	2,966.71	-	-	3,712.28
योग	2,08,630.31	2,32,930.23	योग	2,08,630.31	-	-	2,32,930.23

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.4

(अनुच्छेद 1.4 देखें; पृष्ठ 16)

राज्य सरकार के वित्तीय साधनों पर समय श्रेणी आँकड़े

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भाग क: प्राप्तियाँ					
1. राजस्व प्राप्तियाँ	91,327	1,00,285	1,09,026	1,27,307	1,37,873
(i) कर राजस्व	38,673(42)	42,713(42)	44,372(41)	50,605(40)	57,380(42)
कृषि आय पर कर	- ²	- ²	- ²	- ²	- ²
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	-	-	-	12,137(24)	22,938(40)
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	24,170 (63)	26,345(62)	28,558(64)	19,008(38)	14,791(26)
राज्य उत्पाद शुल्क	5,586(14)	6,713(16)	7,054(16)	7,276(14)	8,694(15)
वाहनों पर कर	2,830(7)	3,199(7)	3,623(8)	4,363(9)	4,576(8)
मुद्रांक तथा पंजीयन शुल्क	3,189(8)	3,234(7)	3,053(7)	3,675(7)	3,886(7)
भू-राजस्व	289(1)	272(1)	315(1)	364(1)	290(1)
माल तथा यात्री कर	956(3)	848(2)	803(2)	341(1)	51(-)
अन्य कर	1,653(4)	2,102(5)	966(2)	3,441(7)	2,154(3)
(ii) कर-भिन्न राजस्व	13,229(15)	10,928(11)	11,615(10)	15,734(12)	18,603(13)
(iii) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	19,817(22)	27,916(28)	33,556(31)	37,028(29)	41,853(30)
(iv) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	19,608(21)	18,728(19)	19,483(18)	23,940(19)	20,037(15)
2. विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ	15	25	28	16	20
3. कर्जों एवं अग्रिमों की वसूलियाँ	1,004	1,447	1,713	15,134	15,158
4. कुल राजस्व एवं गैर-ऋण पूँजीगत प्राप्तियाँ (1+2+3)	92,346	1,01,757	1,10,767	1,42,457	1,53,051
5. लोक ऋण प्राप्तियाँ	18,141	60,998	43,889	28,557	37,847
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त)	17,346(96)	59,249(97)	40,434(92)	27,000(95)	35,205(93)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-
भारत सरकार से कर्जें एवं अग्रिम	795(4)	1,749(3)	3,455(8)	1,557(5)	2,642(7)
6. समेकित निधि से कुल प्राप्तियाँ (4+5)	1,10,487	1,62,755	1,54,656	1,71,014	1,90,898
7. आकस्मिकता निधि प्राप्तियाँ	300	-	-	-	-
8. लोक लेखा प्राप्तियाँ	1,26,382	1,46,910	1,56,045	1,56,811	1,70,528
9. राज्य की कुल प्राप्तियाँ (6+7+8)	2,37,169	3,09,665	3,10,701	3,27,825	3,61,426
भाग ख: व्यय/संवितरण					
10. राजस्व व्यय	94,542	1,06,239	1,27,140	1,45,842	1,66,773
सामान्य सेवाएँ (ब्याज भुगतान सहित)	27,868(30)	31,016(29)	39,203(31)	43,451(30)	54,364(33)
सामाजिक सेवाएँ	37,754(40)	43,349(41)	49,372(39)	53,064(36)	65,687(39)
आर्थिक सेवाएँ	28,920(30)	31,874(30)	38,565(30)	49,327(34)	46,722(28)
सहायतार्थ अनुदान एवं अंशदान	- ³	- ³	- ³	- ³	- ³
11. पूँजीगत व्यय	16,103	21,986	16,980	20,623	19,638
सामान्य सेवाएँ	534(3)	441(2)	437(2)	527(3)	588(3)
सामाजिक सेवाएँ	5,838(36)	5,996(27)	6,214(37)	7,221(35)	6,913(35)
आर्थिक सेवाएँ	9,731(61)	15,549(71)	10,329(61)	12,875(62)	12,137(62)
12. कर्जों एवं अग्रिमों का संवितरण	701	36,602	12,965	1,334	1,113
13. कुल व्यय (10+11+12)	1,11,346	1,64,827	1,57,085	1,67,799	1,87,524
14. लोक ऋणों की अदायगी	4,960	4,959	5,015	11,674	16,915
आन्तरिक ऋण (मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अतिरिक्त)	4,451(90)	4,434(89)	4,441(89)	11,041(95)	16,137(95)
मार्गोपाय अग्रिम एवं ओवरड्राफ्ट के अन्तर्गत निवल लेन-देन	-	-	-	-	-

² 2014-15: ₹ 0.01 लाख, 2015-16: ₹ 0.01 लाख, 2016-17: मात्र ₹ 202, 2017-18: ₹ 0.02 लाख एवं 2018-19: ₹ 0.23 लाख।³ 2014-15: ₹ 0.09 करोड़, 2015-16: ₹ 0.10 करोड़, 2016-17: ₹ 0.06 करोड़, 2017-18: ₹ 0.11 करोड़ एवं 2018-19: ₹ 0.09 करोड़।

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
भारत सरकार को कर्जे एवं अग्रिम	509(10)	525(11)	574(11)	633(5)	778(5)
15. आकस्मिकता निधि को विनियोजन	300	-	-	-	-
16. समेकित निधि में से कुल संवितरण (13+14+15)	1,16,606	1,69,786	1,62,100	1,79,473	2,04,439
17. आकस्मिकता निधि संवितरण	-	-	-	-	-
18. लोक लेखा संवितरण	1,22,060	1,40,431	1,48,886	1,47,088	1,60,570
19. राज्य द्वारा कुल संवितरण (16+17+18)	2,38,666	3,10,217	3,10,986	3,26,561	3,65,009
भाग: ग घाटा					
20. राजस्व घाटा (-)/राजस्व अधिशेष (+)(1-10)	(-) 3,215	(-) 5,954	(-) 18,114	(-) 18,535	(-) 28,900
21. राजकोषीय घाटा (-)/राजकोषीय अधिशेष (+) (4-13)	(-) 19,000	(-) 63,070	(-) 46,318	(-) 25,342	(-) 34,473
22. प्राथमिक घाटा (21+23)	(-) 8,537	(-) 51,062	(-) 28,641	(-) 5,622	(-) 12,778
भाग: घ अन्य आँकड़े					
23. ब्याज अदायगियों (राजस्व व्यय में सम्मिलित)	10,463	12,008	17,677	19,720	21,695
24. स्थानीय निकायों इत्यादि को वित्तीय सहायता	28,329	31,725	32,892	34,985	34,862
25. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
मार्गोपाय अग्रिम का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
ओवरड्राफ्ट का उपयोग (दिनों में)	-	-	-	-	-
26. मार्गोपाय अग्रिम/ओवरड्राफ्ट पर ब्याज	-	-	-	-	-
27. सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) @	6,15,642	6,81,485	7,58,809#	8,35,558##	9,29,124\$
28. बकाया राजकोषीय देयताएँ (वर्ष के अन्त में)	1,47,609	2,09,386	2,55,002	2,81,182	3,11,374
29. बकाया प्रतिभूतियाँ (वर्ष के अन्त में) (ब्याज सहित)	94,578	53,620	51,159	61,761	70,430
30. दी गई प्रतिभूतियों की अधिकतम राशि (वर्ष के अन्त में)	1,61,918	1,61,236	1,18,161	1,12,057	1,31,026
31. अपूर्ण परियोजनाओं की संख्या	199	169	197	247	279
32. अपूर्ण परियोजनाओं में अवरुद्ध पूँजी	11,167	13,072	17,668	20,176	26,409
भाग ड: राजकोषीय स्थिति सूचक (प्रतिशत में)					
I. संसाधन गतिशीलता					
स्व-कर राजस्व/जीएसडीपी	6.3	6.3	5.8	6.1	6.2
स्व-कर भिन्न राजस्व/जीएसडीपी	2.1	1.6	1.5	1.9	2.0
केन्द्रीय अन्तरण/जीएसडीपी	6.4	6.8	7.0	7.3	6.7
II. व्यय प्रबन्धन (प्रतिशत में)					
कुल व्यय/जीएसडीपी	18.1	24.2	20.7	20.1	20.2
कुल व्यय/राजस्व प्राप्तियाँ	121.9	164.4	144.1	131.8	136.0
राजस्व व्यय/कुल व्यय	84.9	64.5	80.9	86.9	88.9
सामाजिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	33.9	26.3	31.4	31.6	35.0
आर्थिक सेवाओं पर राजस्व व्यय/कुल व्यय	26.0	19.3	24.6	29.4	24.9
पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14.5	13.3	10.8	12.3	10.5
सामाजिक एवं आर्थिक सेवाओं पर पूँजीगत व्यय/कुल व्यय	14.0	13.1	10.5	12.0	10.2
III. राजकोषीय असंतुलन का प्रबन्धन					
राजस्व घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 0.5	(-) 0.9	(-) 2.4	(-) 2.2	(-) 3.1
राजकोषीय घाटा/जीएसडीपी	(-) 3.1	(-) 9.2	(-) 6.1	(-) 3.0	(-) 3.7

संशोधित अनुमान III

संशोधित अनुमान II

\$ द्वितीय अग्रिम अनुमान

(₹ करोड़ में)

	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
प्राथमिक घाटा (अधिशेष +)/जीएसडीपी	(-) 1.4	(-) 7.5	(-) 3.8	(-) 0.7	(-) 1.4
राजस्व घाटा/राजकोषीय घाटा	16.9	9.4	39.1	73.1	83.8
IV. राजकोषीय देयताओं का प्रबन्धन					
राजकोषीय देयताएँ/जीएसडीपी	23.98	30.72	33.61	33.65	33.51
राजकोषीय देयताएँ/राजस्व प्राप्तियाँ	161.6	208.8	233.9	220.9	225.8
प्राथमिक घाटा की तुलना म. प्रमात्रा विस्तार (₹ करोड़ म.)	(-) 3,081	(-) 44,567	(-) 20,894	(+) 1,263	(-) 1,812
ऋण मोचन (मूलधन + ब्याज)/ऋण प्राप्तियाँ	94.6	75.0	86.1	96.5	95.9
V. अन्य राजकोषीय स्थिति सूचक					
निवेश पर प्रतिलाभ	0.2	0.3	0.2	0.1	0.1
वित्तीय परिसम्पत्तियाँ/देयताएँ	0.82	0.85	0.80	0.76	0.69

स्रोत: वित्त लेखे

टिप्पणी: कोष्ठक म. संख्या प्रत्येक उपशीर्ष का योग से प्रतिशत (पूर्णांक) प्रदर्शित करती है।

@ स्रोत: आर्थिक एवं सांख्यिकीय निदेशालय, राजस्थान सरकार।

परिशिष्ट 1.5

(अनुच्छेद 1.10.1 देखें; पृष्ठ 50)

31 मार्च 2019 को राजस्थान सरकार की सारांशीकृत वित्तीय स्थिति

(₹ करोड़ में)

देयतायें	31.03.2018 को	31.03.2019 को
आन्तरिक ऋण	2,00,243.86	2,19,311.48
ब्याज सहित बाजार कर्जें	1,10,444.68	1,37,266.92
ब्याज रहित बाजार कर्जें	0.10	0.08
भारतीय जीवन बीमा निगम से कर्जें	22.30	18.55
केन्द्र सरकार की राष्ट्रीय अल्प बचत निधि को जारी विशेष प्रतिभूतियाँ	16,968.28	15,408.32
अन्य संस्थाओं से कर्जें	72,808.50	66,617.61
मार्गोपाय अग्रिम	-	-
भारतीय रिजर्व बैंक से अधिविकर्ष	-	-
केन्द्र सरकार से कर्जें एवं अग्रिम	12,063.00	13,927.40
1984-85 से पूर्व के कर्जें	5.40	5.40
आयोजना-भिन्न कर्जें	28.63	23.91
राज्य आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	10,489.18	3,264.84
केन्द्र आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	0.29	0.29
केन्द्र प्रवर्तित आयोजनागत योजनाओं के लिये कर्जें	4.28	4.28
राज्य/विधानमंडल वाले संघ राज्य क्षेत्र योजनाओं के लिये अन्य कर्जें	1535.22	10,628.68
आकस्मिकता निधि	500.00	500.00
अल्प बचत, भविष्य निधियाँ इत्यादि	42,095.22	47,478.08
जमाएँ	24,762.22	28,817.51
आरक्षित निधियाँ	4,984.46	5,551.37
प्रेषण शेष	-	-
योग	2,84,648.76	3,15,585.84
सम्पत्तियाँ	31.03.2018 को	31.03.2019 को
स्थायी परिसम्पत्तियों पर सकल पूँजीगत परिव्यय -	1,68,490.76	1,88,108.83⁴
कम्पनियों, निगमों इत्यादि के अंशों में निवेश	45,780.60	49,861.39
अन्य पूँजीगत परिव्यय	1,22,710.16	1,38,247.44
कर्जें और अग्रिम	37,307.81	23,262.49
विद्युत परियोजनाओं के लिये कर्जें	33,556.84	18,676.66
अन्य विकासात्मक कर्जें	3,751.92	4,586.85
सरकारी कर्मचारियों को कर्जें तथा विविध कर्जें	(-) 0.95	(-) 1.02 ⁵
आरक्षित निधि निवेश	2,966.71	3,712.28
अग्रिम	3.21	3.21
प्रेषण शेष	11.47	2.05
उच्चत तथा विविध शेष	149.83	206.65
रोकड़	6,410.28	2,081.47
खजाने म. रोकड़ तथा स्थानीय प्रेषण	(-) 6.46	(-) 12.27
रिजर्व बैंक के पास जमाएँ	11.09	(-) 64.45
विभागीय रोकड़ शेष	1.03	0.87
स्थायी अग्रिम	2.90	2.86
रोकड़ शेष निवेश	6,401.72	2,154.46
सरकारी लेखे पर घाटा	69,308.69	98,208.86
(i) वर्तमान वर्ष का राजस्व घाटा	18,534.34	28,900.17
(ii) आकस्मिकता निधि को विनियोजन	-	-
(iii) वर्ष के प्रारम्भ में संचित घाटा	50,774.35	69,308.69
घटायें: वर्तमान वर्ष का राजस्व अधिशेष	-	-
घटायें: विविध घाटा	-	-
योग	2,84,648.76	3,15,585.84

4 वर्ष के अन्त तक सकल पूँजीगत व्यय में से ₹ 20.13 करोड़ (पूँजीगत विनिवेश) को प्रोफार्मा कमी के कारण वर्तमान वर्ष की पूँजीगत प्राप्तियाँ 'शून्य' दर्शायी गयी है।

5 ऋणात्मक शेष जाँच के अधीन है।

परिशिष्ट 1.3 एवं 1.5 के लिए व्याख्यात्मक टिप्पणियाँ

पूर्ववर्ती विवरण-पत्रों में दिये गये सारांशीकृत लेखे वित्त लेखाओं में दी गई टिप्पणियों तथा स्पष्टीकरण के साथ पढ़े जावें। सरकारी लेखे मुख्यतः रोकड़ आधार पर रखे जाते हैं, सरकारी लेखे में घाटा, जैसा **परिशिष्ट 1.5** में दर्शित है, वाणिज्यिक लेखांकन में उपार्जित आधार के विपरीत, रोकड़ आधार पर स्थिति प्रदर्शित करता है। फलस्वरूप, देय अथवा प्राप्य मदें या मूल्य ह्रास अथवा स्टॉक आँकड़ों में अन्तर आदि जैसी मदें लेखाओं में दर्शित नहीं हैं। उचत तथा विविध शेषों में, जारी किन्तु भुगतान न किये गये चैक, राज्य की ओर से किये गये भुगतान तथा अन्य बकाया इत्यादि जिनका निपटारा बाकी है, शामिल हैं। लेखाओं में दर्शाये आँकड़ों तथा भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा “रिजर्व बैंक के पास जमा” के अंतर्गत सूचित किये आँकड़ों के मध्य ₹ 3.14 करोड़ (जमा) का अंतर था। अंकमिलान और समायोजन के उपरान्त अगस्त 2019 तक अन्तर राशि ₹ 0.74 करोड़ (नामे) का अंकमिलान होना बकाया था।

परिशिष्ट 1.6

(अनुच्छेद 1.2.2 देखें; पृष्ठ 7)

वर्ष 2018-19 के बजट अनुमानों एवं संशोधित अनुमानों की तुलना में वास्तविक आंकड़ें

(₹ करोड़ में)

1	2	3	4	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2)	6 (4-3)	7	8
(1) राजस्व प्राप्ति (क+ख+ग+घ)	1,51,663	1,48,184	1,37,873	(-)13,790	(-) 10,311	(-) 9.09	(-) 6.96
(क) कर राजस्व	58,099	61,907	57,380	(-) 719	(-) 4,527	(-) 1.24	(-) 7.31
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	21,000	23,500	22,938	1,938	(-) 562	9.23	(-) 2.39
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	15,600	16,500	14,791	(-) 809	(-) 1,709	(-) 5.19	(-) 10.36
राज्य उत्पाद शुल्क	9,300	9,300	8,694	(-) 606	(-) 606	(-) 6.52	(-) 6.52
कृषि भूमि से भिन्न अचल सम्पत्ति पर कर	10	10	1	(-) 9	(-) 9	(-) 90.00	(-) 90.00
वाहन कर	4,900	5,000	4,576	(-) 324	(-) 424	(-) 6.61	(-) 8.48
मुद्रांक और पंजीयन शुल्क	4,250	4,750	3,886	(-) 364	(-) 864	(-) 8.56	(-) 18.19
माल तथा यात्री कर	01	38	51	50	13	5000.00	34.21
भू-राजस्व	587	463	290	(-) 297	(-) 173	(-) 50.60	(-) 37.37
विद्युत कर तथा शुल्क	2,450	2,339	2,148	(-) 302	(-) 191	(-) 12.33	(-) 8.17
वस्तुओं तथा सेवाओं पर अन्य कर तथा शुल्क	01	07	5	4	(-) 2	400.00	(-) 28.57
(ख) कर-भिन्न राजस्व	20,397	19,966	18,603	(-) 1,794	(-) 1,363	(-) 8.80	(-) 6.83
ब्याज प्राप्ति	6,324	5,810	5,791	(-) 533	(-) 19	(-) 8.43	(-) 0.33
विविध सामान्य सेवाएँ	1,302	1,171	784	(-) 518	(-) 387	(-) 39.78	(-) 33.05
जलापूर्ति तथा सफाई	750	780	609	(-) 141	(-) 171	(-) 18.80	(-) 21.92
पेट्रोलियम	3,500	3,825	3,883	383	58	10.94	1.52
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	5,800	6,000	5,301	(-) 499	(-) 699	(-) 8.60	(-) 11.65
पुलिस	358	361	345	(-) 13	(-) 16	(-) 3.63	(-) 4.43
श्रम एवं रोजगार	469	427	415	(-) 54	(-) 12	(-) 11.51	(-) 2.81
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	175	166	164	(-) 11	(-) 2	(-) 6.29	(-) 1.20
अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	239	259	246	7	(-) 13	2.93	(-) 5.02
वानिकी एवं वन्य जीव	142	154	147	5	(-) 7	3.52	(-) 4.55
मुख्य सिंचाई	94	100	172	78	72	82.98	72.00
लोक निर्माण कार्य	462	126	126	(-) 336	0	(-) 72.73	0.00
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति	208	169	160	(-) 48	(-) 9	(-) 23.08	(-) 5.33
लाभाना तथा लाभ	71	76	56	(-) 15	(-) 20	(-) 21.13	(-) 26.32
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएँ	68	52	30	(-) 38	(-) 22	(-) 55.88	(-) 42.31
अन्य कर-भिन्न राजस्व	435	490	374	(-) 61	(-) 116	(-) 14.02	(-) 23.67
(ग) संघीय करों एवं शुल्कों में राज्य का हिस्सा	43,310	41,853	41,853	(-) 1,457	0	(-) 3.36	0.00
(घ) भारत सरकार से सहायतार्थ-अनुदान	29,857	24,458	20,037	(-) 9,820	(-) 4,421	(-) 32.89	(-) 18.08
(2) विविध पूँजीगत प्राप्ति	30	20	20	(-) 10	0	(-) 33.33	0.00
(3) कर्जें तथा अग्रिमों की वसूलियाँ	15,735	15,662	15,158	(-) 577	(-) 504	(-) 3.66	(-) 3.22
(4) कुल प्राप्ति (1+2+3)	1,67,428	1,63,866	1,53,051	(-) 14,376	(-) 10,815	(-) 8.59	(-) 6.60
(5) राजस्व व्यय (क+ख+ग+घ)	1,69,118	1,73,009	1,66,773	(-) 2,345	(-) 6,236	(-) 1.39	(-) 3.60
(क) सामान्य सेवाएँ	53,360	55,017	54,364	1,004	(-) 653	1.88	(-) 1.19
न्याय प्रशासन	1,076	1,213	1,159	83	(-) 54	7.71	(-) 4.45
निर्वाचन	269	367	354	85	(-) 13	31.60	(-) 3.54
भू-राजस्व	804	776	721	(-) 83	(-) 55	(-) 10.32	(-) 7.09
राज्य उत्पाद शुल्क	179	170	160	(-) 19	(-) 10	(-) 10.61	(-) 5.88
राज्य वस्तु एवं सेवा कर	148	137	139	(-) 9	2	(-) 6.08	1.46
बिक्री, व्यापार आदि पर कर	1,237	1,014	994	(-) 243	(-) 20	(-) 19.64	(-) 1.97
वाहन कर	161	149	130	(-) 31	(-) 19	(-) 19.25	(-) 12.75
ब्याज अदायगियाँ	21,413	21,737	21,695	282	(-) 42	1.32	(-) 0.19
सचिवालय-सामान्य सेवाय.	239	264	243	4	(-) 21	1.67	(-) 7.95
जिला प्रशासन	492	498	493	1	(-) 5	0.20	(-) 1.00
कोष तथा लेखा प्रशासन	331	310	284	(-) 47	(-) 26	(-) 14.20	(-) 8.39
पुलिस	5,944	6,170	6,104	160	(-) 66	2.69	(-) 1.07
	204	206	190	(-) 14	(-) 16	(-) 6.86	(-) 7.77

(₹ करोड़ में)

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2)	6 (4-3)	7	8
जेल	334	355	324	(-) 10	(-) 31	(-) 2.99	(-) 8.73
अन्य प्रशासनिक सेवायें	19,712	20,615	20,396	684	(-) 219	3.47	(-) 1.06
पशान तथा अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	503	540	539	36	(-) 1	7.16	(-) 0.19
विविध सामान्य सेवायें	89	89	85	(-) 4	(-) 4	(-) 4.49	(-) 4.49
मुद्रांक और पंजीयन	(-) 06	102	74	(-) 80	(-) 28	(-) 1333.33	(-) 27.45
लोक निर्माण कार्य	231	305	280	49	(-) 25	10.82	(-) 8.20
अन्य							
(ख) सामाजिक सेवाएँ	64,456	68,258	65,687	1,231	(-) 2,571	1.91	(-) 3.77
सामान्य शिक्षा	33,206	34,859	34,159	953	(-) 700	2.87	(-) 2.01
तकनीकी शिक्षा	234	206	199	(-) 35	(-) 7	(-) 14.96	(-) 3.40
खेलकूद तथा युवा सेवाएँ	136	135	111	(-) 25	(-) 24	(-) 18.38	(-) 17.78
चिकित्सा तथा लोक स्वास्थ्य	9,049	8,730	8,559	(-) 490	(-) 171	(-) 5.41	(-) 1.96
परिवार कल्याण	2,790	2,852	2,803	13	(-) 49	0.47	(-) 1.72
जलापूर्ति तथा सफाई	3,163	3,484	3,416	253	(-) 68	8.00	(-) 1.95
शहरी विकास	5,034	4,646	4,151	(-) 883	(-) 495	(-) 17.54	(-) 10.65
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों का कल्याण	1,562	1,614	1,501	(-) 61	(-) 113	(-) 3.91	(-) 7.00
श्रम तथा रोजगार	646	625	599	(-) 47	(-) 26	(-) 7.28	(-) 4.16
सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	4,990	6,160	5,993	1,003	(-) 167	20.10	(-) 2.71
पोषण	1,989	2,238	1,750	(-) 239	(-) 488	(-) 12.02	(-) 21.81
प्राकृतिक आपदा के कारण राहत	1,288	2,235	2,054	766	(-) 181	59.47	(-) 8.10
अन्य	369	474	392	23	(-) 82	6.23	(-) 17.30
(ग) आर्थिक सेवाएँ	51,302	49,734	46,722	(-)4,580	(-) 3,012	(-) 8.93	(-) 6.06
फसल कृषि-फर्म	3,031	2,802	2,312	(-) 719	(-) 490	(-) 23.72	(-) 17.49
पशुपालन	1,288	1,229	1,174	(-) 114	(-) 55	(-) 8.85	(-) 4.48
वानिकी एवं वन्य जीव	859	790	750	(-) 109	(-) 40	(-) 12.69	(-) 5.06
कृषि अनुसंधान तथा शिक्षा	267	279	279	12	0	4.49	0.00
सहकारिता	2,694	3,735	3,728	1,034	(-) 7	38.38	(-) 0.19
ग्रामीण विकास के लिये विशेष कार्यक्रम	1,311	831	813	(-) 498	(-) 18	(-) 37.99	(-) 2.17
ग्रामीण रोजगार	3,413	4,405	4,405	992	0	29.07	0.00
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	10,246	8,103	6,155	(-)4,091	(-) 1,948	(-) 39.93	(-) 24.04
मुख्य सिंचाई	1,788	1,346	1,333	(-) 455	(-) 13	(-) 25.45	(-) 0.97
मध्यम सिंचाई	368	215	202	(-) 166	(-) 13	(-) 45.11	(-) 6.05
लघु सिंचाई	155	159	141	(-) 14	(-) 18	(-) 9.03	(-) 11.32
विद्युत	22,607	21,209	21,204	(-)1,403	(-) 5	(-) 6.21	(-) 0.02
नवीन और अक्षय ऊर्जा	18	6	2	(-) 16	(-) 4	(-) 88.89	(-) 66.67
अलौह खनन तथा धातुकर्म उद्योग	136	146	143	7	(-) 3	5.15	(-) 2.05
सड़कें तथा पुल	1,385	1,538	1,242	(-) 143	(-) 296	(-) 10.32	(-) 19.25
सड़क परिवहन	289	609	584	295	(-) 25	102.38	(-) 4.11
सचिवालय-आर्थिक सेवाएँ	51	39	39	(-) 12	0	(-) 23.53	0.00
जनगणना सर्वे तथा सांख्यिकी	489	1,321	1,284	795	(-) 37	162.58	(-) 2.80
नागरिक आपूर्ति	404	489	494	90	5	22.28	1.02
अन्य	503	483	438	(-) 65	(-) 45	(-) 12.92	(-) 9.32
(घ) सहायतार्थ अनुदान तथा अंशदान	-⁶	-⁷	8⁸	-	-	-	-
(6) पूँजीगत व्यय	25,740	21,061	19,638	(-)6,102	(-) 1,423	(-) 23.71	(-) 6.76
पुलिस पर पूँजीगत परिव्यय	215	312	274	59	(-) 38	27.44	(-) 12.18
लोक निर्माण कार्य पर पूँजीगत परिव्यय	502	367	306	(-) 196	(-) 61	(-) 39.04	(-) 16.62
शिक्षा, खेलकूद, कला तथा संस्कृति पर पूँजीगत परिव्यय	832	901	825	(-) 7	(-) 76	(-) 0.84	(-) 8.44
चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य पर पूँजीगत परिव्यय	975	581	499	(-) 476	(-) 82	(-) 48.82	(-) 14.11

6 ₹ 20.87 लाख

7 ₹ 13.86 लाख

8 ₹ 8.43 लाख

	बजट अनुमान	संशोधित अनुमान	वास्तविक	वृद्धि/कमी (-)		वृद्धि/कमी (-) (प्रतिशत में)	
				वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में	वास्तविक से बजट अनुमान में	वास्तविक से संशोधित अनुमान में
1	2	3	4	5 (4-2)	6 (4-3)	7	8
जलापूर्ति तथा सफाई पर पूंजीगत परिव्यय	5,509	4,288	3,870	(-)1,639	(-) 418	(-) 29.75	(-) 9.75
शहरी विकास पर पूंजीगत परिव्यय	1,461	1,376	1,296	(-) 165	(-) 80	(-) 11.29	(-) 5.81
अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों तथा अल्पसंख्यकों के कल्याण पर पूंजीगत परिव्यय	335	304	282	(-) 53	(-) 22	(-) 15.82	(-) 7.24
पोषण पर पूंजीगत परिव्यय	52	21	1	(-) 51	(-) 20	(-) 98.08	(-) 95.24
अन्य सामाजिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	144	89	84	(-) 60	(-) 5	(-) 41.67	(-) 5.62
फसल कृषि-फर्म पर पूंजीगत परिव्यय	410	161	147	(-) 263	(-) 14	(-) 64.15	(-) 8.70
वानिकी एवं वन्य जीव पर पूंजीगत परिव्यय	155	107	98	(-) 57	(-) 9	(-) 36.77	(-) 8.41
अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर पूंजीगत परिव्यय	597	363	232	(-) 365	(-) 131	(-) 61.14	(-) 36.09
अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूंजीगत परिव्यय	440	342	278	(-) 162	(-) 64	(-) 36.82	(-) 18.71
मुख्य सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	2,371	1,817	1,738	(-) 633	(-) 79	(-) 26.70	(-) 4.35
मध्यम सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	177	117	118	(-) 59	01	(-) 33.33	0.85
लघु सिंचाई पर पूंजीगत परिव्यय	381	446	451	70	5	18.37	1.12
सिंचित क्षेत्र विकास पर पूंजीगत परिव्यय	109	92	89	(-) 20	(-) 3	(-) 18.35	(-) 3.26
विद्युत परियोजनाओं पर पूंजीगत परिव्यय	4,219	3,822	3,822	(-) 397	0	(-) 9.41	0.00
पेट्रोलियम पर पूंजीगत परिव्यय	374	147	147	(-) 227	0	(-) 60.70	0.00
उद्योग एवं खनिज पर पूंजीगत परिव्यय	485	55	22	(-) 463	(-) 33	(-) 95.46	(-) 60.00
सड़कों तथा सेतुओं पर पूंजीगत परिव्यय	5,260	4,269	4,162	(-)1,098	(-) 107	(-) 20.87	(-) 2.51
अन्य सामान्य आर्थिक सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय	495	650	631	136	(-) 19	27.47	(-) 2.92
अन्य पूंजीगत परिव्यय	242	434	266	24	(-) 68	9.92	(-) 38.71
(7) कर्जें तथा अग्रिमों का संवितरण	581	1,269	1,113	532	(-) 156	91.67	(-) 12.29
(8) कुल व्यय (5+6+7)	1,95,439	1,95,339	1,87,524	(-) 7,915	(-) 7,815	(-) 4.05	(-) 4.00
(9) राजस्व अधिशेष (+)/घाटा (-) (1-5)	(-) 17,455	(-) 24,825	(-)28,900	(-)11,445	(-) 4,075		
(10) राजकोषीय घाटा (-) (4-8)	28,011	31,473	34,473	6,462	3,000		
(11) प्राथमिक अधिशेष (+)/घाटा (-) (10+ ब्याज अदायगी)	(-) 6,598	(-) 9,736	(-) 12,778	(-) 6,180	(-) 3,042		

स्रोत: वित्त लेखे तथा बजट प्रलेख

परिशिष्ट 1.7

(अनुच्छेद 1.9.4 देखें; पृष्ठ 47)

कर्जदारों द्वारा नहीं चुकाये गये उधारों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	शीर्ष	कर्जदाता का नाम	1.4.2003 को प्रारम्भिक शेष	2003-19 के दौरान अग्रिम	2003-19 के दौरान पुनर्भुगतान	31.03.2019 को अन्तिम शेष
1	6215-01-192 (01)	नगरपालिकाओं को उधार-प्रत्यक्ष उधार	306.70	-	-	306.70
2	6215-01-192 (02)	नगरपालिकाओं को उधार-जीवन बीमा निगम से गारन्टेड उधार	3,459.99	-	-	3,459.99
3	6215-02-192	नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को उधार	2.53	-	-	2.53
4	6216-80-800(01)	औद्योगिक आवास योजना	2.26	-	0.04	2.22
5	6235-02-800 (01)	दंगों से प्रभावित व्यक्तियों को उधार	6.34	-	0.53	5.81
6	6235-60-800 (02)[01]	जागीरदारों का पुनर्वास	1.51	-	-	1.51
7	6235-60-800 (02)[03]	बर्मा से लौटे विस्थापितों को उधार	3.06	-	-	3.06
8	6235-60-800 (02)[04]	बेरोजगार स्वर्णकारों को तकावी अग्रिम	49.79	-	-	49.79
9	6245-01-800 (04)	पशुपालन विभाग के अधिकरणों के माध्यम से चारा आदि के लिये गौ सेवा संघ को उधार	11.82	-	-	11.82
10	6250-60-800(05)	मुख्य वन संरक्षक के माध्यम से वन श्रम सहकारी समितियों को उधार	0.42	-	0.17	0.25
11	6401-103 (02)	राजस्थान राज्य कृषि उद्योग निगम लिमिटेड को उधार	1,587.53	163.22	-	1,750.75
12	6401-103 (03)	राजस्थान राज्य बीज निगम को उधार	64.38	-	0.02	64.36
13	6403-102 (02)	सघन पशुधन विकास योजना	4.08	-	(-) 3.60	7.68
14	6403-103	कुक्कुट विकास	0.01	-	-	0.01
15	6403-104 (01)	भेड़ पालकों को उधार	0.02	-	-	0.02
16	6404-190(01)	दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ को उधार	309.71	-	-	309.71
17	6404-190(02)	रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम-डेयरी इकाइयों की स्थापना	0.18	-	-	0.18
18	6405-800(01)	निदेशक, पशुपालन विभाग के माध्यम से मत्स्य पालक विकास अधिकरण को उधार	0.33	-	-	0.33
19	6408-02-800(04)	परिवहन वाहन क्रय हेतु उधार	0.62	-	(-) 0.13	0.75
20	6425-107(07)	राजस्थान राज्य सहकारी सशक्तिकरण निधि की स्थापना हेतु उधार	161.18	-	-	161.18
21	6705-800(01)	मृदा संरक्षण	9.47	-	-	9.47
22	6705-800(02)	विश्व खाद्य कार्यक्रम संख्या 2600 के अन्तर्गत विस्थापितों को उधार	1.00	-	-	1.00
23	6860-01-800 (01)	मेवाड़ टेक्सटाइल लिमिटेड को उधार	503.49	38.67	(-) 50.53	592.69
24	7075-01-800 (01)	सामरिक सड़कों हेतु ठेकेदारों को उधार	0.82	-	-	0.82
25	7475-103(01)	उपभोक्ता सहकारी भण्डारों को उधार	0.98	-	(-) 1.02	2.00
26	7475-103(05)	विश्वविद्यालय एवं महाविद्यालय सहकारी भण्डारों को उधार	0.07	-	-	0.07
महायोग			6,488.29	201.89	(-) 54.52	6,744.70

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.8

(अनुच्छेद 1.9.3 देखे; पृष्ठ 45)

सरकारी निवेश जिनके लेखे प्रस्तुत नहीं किये, को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र.सं.	संस्था का नाम	अन्तिम निवेश का वर्ष	निवेशित राशि	से लेखे प्रतिक्षित	टिप्पणी
सांविधिक निगम					
1	राजस्थान राज्य मंडी विकास निगम, जयपुर	1977-78	0.65	-	चूंकि निगम का गठन नहीं हुआ था, राशि राजस्थान राज्य कृषि विपणन मण्डल के पास रखी हुई थी।
2	राजस्थान जल प्रदाय और मल निकास निगम, जयपुर	1980-81 तक	0.08	-	₹ 10.00 लाख के कुल निवेश में से ₹ 9,92,200 अप्रैल 1980 में जमा करा दिये गये थे क्योंकि सरकार द्वारा निगम को बंद करने का निर्णय लिया गया।
सरकारी कम्पनियों					
3	राष्ट्रीय वस्त्र निगम, नई दिल्ली	1975-76	45.85	2003-04	
4	राजस्थान राज्य विद्युत निगम, जयपुर	1997-98	5.00	2003-04	
5	राजस्थान राज्य एग्री इण्डस्ट्रीज कार्पोरेशन लिमिटेड, जयपुर	1995-96	412.97	-	कम्पनी दिनांक 09 अगस्त 2018 से परिसमापनाधीन है।
संयुक्त पूंजी कम्पनियों					
6	जयपुर उद्योग लिमिटेड, सर्वाईमाधोपुर	1948-49	75.00	1985-86	
7	दी सेंट्रल प्रोविसेज रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, मुम्बई	1910-11	0.08	2003-04	
8	ओरियन्टल पावर केबल्स लिमिटेड, कोटा	1962-63	3.66	30 जून 1985	
9	एसोसिएटेड आयरन एण्ड स्टील इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, रामगंज मंडी (कोटा)	1963-64	1.00	31 दिसम्बर 1985	
10	जयपुर मेटल एण्ड इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, जयपुर	1987-88	7.50	1996-97	
11	मेटल कार्पोरेशन ऑफ इन्डिया लिमिटेड, कोलकाता	1960-61	25.00	-	लेखे प्रतिक्षित है।
12	बूंदी इलेक्ट्रीक सप्लाय कम्पनी लिमिटेड, बूंदी	1936-37	0.12	-	कम्पनी वर्ष 1965-66 से परिसमापनाधीन है।
13	झालावाड़ ट्रांसपोर्ट सर्विस लिमिटेड, झालावाड़	1946-47	0.10	-	कम्पनी नवम्बर 1973 से परिसमापनाधीन है।
14	स्टोनवेयर पाइप एण्ड सेनिटरी फिटिंग मैनुफैक्चरिंग कम्पनी लिमिटेड, जयपुर	सूचना जयपुर रियासत के समामेलन से पूर्व की अवधि से सम्बन्धित है। सरकारी अभिलेखों में निवेश का सही वर्ष उपलब्ध नहीं है।	0.12	-	कम्पनी अगस्त 1961 से परिसमापनाधीन है।
15	श्री उदयभान इण्डस्ट्रीज लिमिटेड, धौलपुर	1947-48	1.30	-	कम्पनी जनवरी 1960 से परिसमापनाधीन है।
16	आबू रोड इलेक्ट्रिसिटी एण्ड इण्डस्ट्रीज कम्पनी लिमिटेड, आबू रोड	1945-46	1.25	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है तथा राजस्थान राज्य विद्युत मण्डल द्वारा वर्ष 1975-76 के दौरान अधिग्रहित की जा चुकी है।
17	कोटा ट्रांसपोर्ट कम्पनी लिमिटेड, कोटा	1946-47	2.00	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
18	जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल्स लिमिटेड, जयपुर	1943-44	17.46	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
19	फुतवाह इस्लामपुर लाइट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1927-28	0.10	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
20	दी चपरमुख सिलीघाट रेल्वे कम्पनी लिमिटेड, कोलकाता	1990-91 तक	0.06	-	कम्पनी परिसमापनाधीन है।
साझेदारी व्यापार संस्थाएं					
21	कॉटन प्रेस कम्पनी, मदनगंज, किरानगढ़	1900-01	0.21	1996-97	
योग			599.51		

स्रोत: वित्त लेखे

परिशिष्ट 1.9

(अनुच्छेद 1.7.2 एवं 1.9.3 देखे; पृष्ठ 31 एवं 45)

सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश के क्षरण को दर्शाने वाला विवरण-पत्र

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार)
1	राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड (दिसम्बर 1974 से सरकारी कम्पनी)	2017-18	77.55	2,079.99	-	77.56
2	राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं निवेश निगम लिमिटेड	2017-18	210.19	1,516.60	-	193.69
3	राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	100.00	126.89	-	100.00
4	राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लिमिटेड	2017-18	180.39	117.19	-	180.84
5	राजस्थान पर्यटन विकास निगम लिमिटेड	2015-16	21.95	- 145.05	- 123.10	21.95
6	राजस्थान राज्य होटल निगम लिमिटेड	2015-16	2.16	- 8.71	- 6.55	2.16
7	राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम लिमिटेड	2017-18	46.06	- 49.89	- 3.83	45.51
8	राजस्थान लघु उद्योग निगम लिमिटेड	2018-19	6.96	- 25.48	- 18.52	6.64
9	राजस्थान राज्य बेवरेज निगम लिमिटेड	2017-18	2.00	37.72	-	2.00
10	बाडमेर लिग्नाईट खनन कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य खान एवं खनिज लिमिटेड की सहायक संयुक्त कम्पनी)	2017-18	20.00	-71.87	-51.87	-
11	राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (राजस्थान राज्य खनन एवं खनिज लिमिटेड की सहायक)	2017-18	66.99	- 1.62	-	-
12	राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड	2018-19	4,441.04	- 1,269.28	-	4,441.04
13	राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड	2018-19	10,067.95	- 4,382.81	-	10,067.95
14	जयपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	10,783.47	- 31,060.49	- 20,277.02	10,783.47
15	अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	10,018.03	- 29,018.55	- 19,000.52	10,018.03
16	जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड	2018-19	9,954.57	- 29,774.77	- 19,820.20	9,954.57
17	राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड	2018-19	12.94	172.24	-	12.94
18	धौलपुर गैस पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	- 0.04	-	-
19	गिरल लिग्नाईट पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	370.05	- 1,264.77	- 894.72	-
20	छबड़ा पावर लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	- 0.04	-	-
21	राजस्थान सोलर पार्क विकास कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान अक्षय ऊर्जा निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	30.16	-	-

क्र. सं.	सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम का नाम	लेखों की अवधि	कुल प्रदत्त पूंजी	संचित लाभ(+)/ हानि (-)	सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों में पूंजी निवेश का क्षरण	सरकारी निवेश (वित्त लेखे 2018-19 के अनुसार)
22	बांसवाड़ा थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	- 9.62	- 9.57	-
23	बाड़मेर थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	0.05	- 17.10	- 17.05	-
24	केशोरायपाटन गैस थर्मल पावर कम्पनी लिमिटेड (राजस्थान राज्य विद्युत प्रसारण निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	2.05	- 2.05	-	-
25	राजकॉम्प इन्फो सर्विस लिमिटेड	2017-18	5.00	50.08	-	5.00
26	राजस्थान जल विकास निगम लिमिटेड	2017-18	1.27	- 2.37	- 1.10	1.27
27	राजस्थान राज्य ऊर्जा वित्त एवं वित्तीय सेवाएँ निगम लिमिटेड	2018-19	90.00	16.78	-	90.00
28	राजस्थान राज्य गैस लिमिटेड (राजस्थान राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड की सहायक)	2018-19	129.87	- 4.31	-	-
29	राजस्थान ऊर्जा विकास निगम लिमिटेड	2018-19	50.00	0.00	-	50.00
30	राजस्थान राज्य विद्युत वितरण वित्त निगम लिमिटेड	2018-19	0.05	- 0.02	-	0.05
31	राजस्थान वित्त निगम	2018-19	160.73	- 108.47	-	128.31
32	राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम	2017-18	638.96	- 4,815.98	- 4,177.02	612.13
33	राजस्थान शहरी पेयजल, मल निकास तथा आधारभूत निगम लिमिटेड	2016-17	48.67	21.07	-	33.51
34	जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन लिमिटेड	2018-19	1,694.04	- 287.72	-	1,494.04
35	राजस्थान पूर्व सैनिक निगम लिमिटेड	2018-19	5.00	14.71	-	5.00
36	राजस्थान चिकित्सा सेवा निगम लिमिटेड	2017-18	5.00	21.45	-	5.00
37	राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम	2018-19	0.05	- 13.05	- 13.00	0.05
38	राजस्थान राज्य खाद्य और नागरिक आपूर्ति निगम लिमिटेड	2016-17	50.00	36.73	-	50.00
39	राजस्थान राज्य बीज निगम लिमिटेड	2017-18	7.59	117.92	-	6.33
40	राजस्थान राज्य एग्रो इन्डस्ट्रीज निगम लिमिटेड	2014-15	6.01	- 54.83	- 48.82	4.13
41	राजस्थान राज्य भण्डारण व्यवस्था निगम	2018-19	7.85	259.46	-	3.93
42	राजस्थान पुलिस आवास एवं निर्माण निगम लिमिटेड	2018-19	1.00	2.30	-	1.00
43	राजस्थान नागरिक विमानन निगम लिमिटेड	2017-18	4.49	-6.29	-1.80	4.49
	योग		49,290.18	-97,773.89	-64,464.69	48,402.59

परिशिष्ट 1.10

(अनुच्छेद 1.7.3.4 एवं 1.9.5 देखे; पृष्ठ 36 एवं पृष्ठ 47)

पिछले 10 वर्षों में राजस्थान सरकार की विद्युत वितरण कम्पनियों के परिचालन के परिणाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

विवरण	2009-10	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19
सरकार द्वारा दी गई कुल अर्थ-सहाय्य	1,493	2,001	3,200	5,464	6,940	8,626	10,461	17,208	23,674	21,540
ऊर्जा क्षेत्र को सरकार द्वारा दी गई अर्थ-सहाय्य	1,452	1,946	2,800	4,861	6,460	8,330	10,186	16,842	23,391	21,204
कुल अर्थ-सहाय्य का ऊर्जा क्षेत्र को अर्थ-सहाय्य (प्रतिशत में)	97.3	97.3	87.5	89.0	93.1	96.6	97.4	97.9	98.8	98.4
विद्युत वितरण कम्पनियों की राजस्व अर्थ-सहाय्य/वित्तीय प्राप्ति	1,110.4	1,200.7	1,759.9	2,246.7	621.8	1,647.7	1,784.1	1,263.6	1,433.5	1,467.69
निवल घाटा (-)/ लाभ	(-)10,763.5	(-)10,606.3	(-)12,443.7	(-)12,351.2	(-)15,645.0	(-)12,473.6	(-)11,240.8	(-)1,981.1	2,172.7	2,606.67
संचयी घाटा	26406.9	37,013.2	49,456.9	61,808.1	77,453.2	89,926.7	10,1167.5	94,633.2	92,460.5	89,853.85
वितरण हानि (प्रतिशत में)	26.11	22.30	19.60	19.23	24.05	27.22	27.67	23.29	20.25	20.72
प्रसारण एवं वितरण हानि (प्रतिशत में)	30.96	26.78	24.27	23.78	27.45	31.42	31.44	26.32	24.86	25.68

उदय योजना का परिचालन प्रदर्शन (30 सितम्बर 2019 को)

उदय योजना के मापदण्ड	उदय योजना के अर्न्तगत लक्ष्य	उदय योजना के अर्न्तगत प्रगति	उपलब्धियाँ (प्रतिशत में)
फीडर मीटर (संख्या में)	2521	5873	100
वितरण ट्रांसफॉर्मर पर माप (संख्या में)			
शहरी	60166	16850	28
ग्रामीण	3486	0	0
फीडर वियोजन (संख्या में)	4357	1321	30
ग्रामीण फीडर लेखापरीक्षा (संख्या में)	20203	20248	100
असम्बद्ध घरों को बिजली (संख्या लाखों में)	11.40	23.97	100
स्मार्ट मीटर (संख्या में)	49849	7953	16
एलईडी उजाला का वितरण (संख्या लाखों में)	34.50	58.49	100
ए टी एण्ड सी हानि (प्रतिशत में)	15.0	25.84	0
एसीएस - एआरआर अन्तर (₹ प्रति यूनिट)	0.52	0.64	0
निवल आय या सब्सिडी सहित लाभ/हानि (₹ करोड़ में)	-2184.32	-2498.24	0

परिशिष्ट 2.1

(अनुच्छेद 2.3.1 देखें; पृष्ठ 75)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ आधिक्य व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 1 करोड़ से अधिक एवं कुल प्रावधान के 10 प्रतिशत से भी अधिक था

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	अनुदान का नाम	लेखा शीर्ष	कुल अनुदान	व्यय	आधिक्य	आधिक्य व्यय का प्रतिशत	टिप्पणियाँ			
राजस्व-दत्तमत											
1.	12	अन्य कर	2030-01-102-01-01 अभिकर्ताओं को विक्रय पर कमीशन-प्रतिबद्ध	0.60	1.63	1.03	171.7	बचत			
2.	21	सड़कें एवं पुल	5055-050-01-01 सिविल कार्य	0.30	2.38	2.08	693.3	बचत			
3.			5054-02-337-03 सीमावर्ती सड़क विकास मण्डल के माध्यम से	35.00	43.52	8.52	24.3				
4.	46	सिंचाई	2700-01-101-05-01 अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध	1.01	2.10	1.09	107.9	बचत			
5.			2700-02-800-03 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	31.23	44.93	13.70	43.9				
6.			2700-03-001-01-01 सिंचाई सामान्य निर्माण कार्य-प्रतिबद्ध	57.23	84.79	27.56	48.2				
7.			2700-03-101-01-01 अन्य रखरखाव व्यय-प्रतिबद्ध	57.23	70.00	12.77	22.3				
8.			2702-01-800-01-02 मद-2701-80 सामान्य से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-प्रतिबद्ध	0.62	7.47	6.85	1,104.8				
9.			4701-69-001-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	4.10	5.41	1.31	32.0				
10.					4702-101-02-04 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना	8.51	12.01		3.50	41.1	
11.					4702-101-07-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	3.59	5.53		1.94	54.0	
12.					4700-02-001-04-16 मुख्य शीर्ष 2700 दाहिनी नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	-	2.14		2.14		
13.					4700-02-001-05-07 मुख्य शीर्ष 2700 बाईं नहर से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	-	1.40		1.40		
14.	4700-32-001-02 मुख्य शीर्ष 2701 (स्थापना) से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	4.06			38.12	34.06	838.9				
15.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना			4700-34-789-01 निर्माण कार्य	6.96	7.96	1.00	14.4	बचत	
16.	4711-01-789-02-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान जयपुर के माध्यम से	2.39	3.85	1.46	61.1						

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.2

(अनुच्छेद 2.3.2 देखें; पृष्ठ 75)

व्यय की अधिकता (जहाँ अंतिम तिमाही में व्यय प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक एवं कुल व्यय के 45 प्रतिशत से भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान/विनियोग की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	जनवरी-मार्च 2019 के दौरान हुआ व्यय	मार्च 2019 में हुआ व्यय	कुल व्यय	के दौरान हुये कुल व्यय का प्रतिशत	
						जनवरी- मार्च 2019	जनवरी- मार्च 2019
1.	21-सड़कें एवं पुल	3054-04-800-02 ग्रामीण सड़कें	105.34	51.65	223.04	47.2	23.2
2.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	4202-01-201-12 सर्व शिक्षा अभियान (शिक्षा गारंटी योजना)	131.61	131.61	131.61	100	100
3.	28-ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-05-196-08 जल संरक्षण उपकर निधि से व्यय	104.07	87.26	212.40	49.0	41.1
4.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-192-14 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत अनुदान	230.49	230.49	385.36	59.8	59.8
5.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	105.12	105.12	225.14	46.7	46.7
6.	34- राहत एवं प्राकृतिक आपदायें	2245-01-800-03 राहत कार्यों पर व्यय	1,051.50	468.17	1,513.11	69.5	30.9
7.	37-कृषि	2415-01-277-01 विश्वविद्यालयों में कृषि शिक्षा	164.48	118.62	243.04	67.7	48.8
8.	41-सामुदायिक विकास	2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	533.39	533.39	1142.36	46.7	46.7
9.	51- अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2515-198-03 राज्य वित्त आयोग की सिफारिशों के तहत ग्राम पंचायतों के लिए अनुदान	140.16	140.16	300.18	46.7	46.7
योग			2,566.16	1,866.47	4,376.24	58.6	42.7

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा व हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 2.3

(अनुच्छेद 2.3.3 देखें; पृष्ठ 76)

विभिन्न अनुदानों/विनियोगों का विवरण-पत्र जहाँ बचतें कुल प्रावधान से ₹ 100 करोड़ से अधिक थीं।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
1.	9-वन	राजस्व-दत्तमत	816.70	-	816.70	711.99	104.71 (12.8)	पदों का रिक्त रहना, कार्यभारित कर्मचारियों के पदों में कटौती, वित्त विभाग द्वारा व्यय की सीमा में कटौती, पिछले वर्षों में जारी की गयी निधियों के उपयोगिता प्रमाण पत्रों की प्राप्ति नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
2.	12-अन्य कर	राजस्व-दत्तमत	640.53	311.25	951.78	822.96	128.82 (13.5)	वेतन एवं भत्तों, लेखन सामग्री/मुद्रण, कम्प्यूटरीकरण, कार्यालय व्यय, संविदा व्यय पर कम व्यय, सातवें वेतन आयोग के तहत कार्मिकों के वेतन का स्थिरीकरण नहीं होना तथा बकाया का भुगतान नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
3.	14-बिक्री कर	राजस्व-दत्तमत	1,368.95	18.13	1,387.08	1,120.87	266.21 (19.2)	पदों का रिक्त रहना, वित्तीय वर्ष में निर्धारित अवधि के दौरान प्रकरणों का निपटान नहीं होना तथा संशोधित अनुमानों के दौरान बजट सीमा में कटौती होना।
4.	19-लोक निर्माण कार्य (पूंजीगत-दत्तमत)	पूंजीगत-दत्तमत	1,024.80	-	1,024.80	560.35	464.45 (45.3)	निर्माण कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय का समायोजन, कार्य की धीमी प्रगति, कार्यों का निष्पादन नहीं/कम होना, परियोजना में परिवर्तन होना तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति। विभाग द्वारा बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
5.	21-सड़कें एवं पुल	राजस्व-दत्तमत	1,535.23	133.41	1,668.64	1,362.34	306.30 (18.4)	सातवें वेतन आयोग के बकाया का कार्यभारित कर्मचारियों को अनुमान से कम भुगतान तथा मरम्मत एवं संधारण तथा मजदूरी पर कम व्यय, भारत

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/ पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								सरकार से निधियों की कम प्राप्ति तथा भारत सरकार से केन्द्रीय सड़क निधि की राशि की कम प्राप्ति। विभाग द्वारा बचत के विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	4,620.21	309.10	4,929.31	4,025.55	903.76 (18.3)	निर्माण कार्य परिव्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय का समायोजन। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में बचत के कारण सूचित नहीं किये गये।
6.	22-क्षेत्र का विकास	पूंजीगत-दत्तमत	386.29	-	386.29	264.48	121.81 (31.5)	डॉंग क्षेत्र विकास, मेवात क्षेत्र विकास, मगरा क्षेत्र विकास के अन्तर्गत निर्माण कार्यों का कम निष्पादन, पदों का रिक्त रहना तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति।
7.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	पूंजीगत-दत्तमत	588.51	100.72	689.23	561.67	127.56 (18.5)	कार्यों का निष्पादन नहीं/कम होना, भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना, सीमा में कटौती तथा राजकॉम्प से उपयोगिता प्राप्त पत्र प्राप्त नहीं होना।
8.	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य एवं सफाई	राजस्व-दत्तमत	9,922.01	-	9,922.01	9,417.78	504.23 (5.1)	पदों का रिक्त रहना, वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, निजी निक्षेप खातों में निधि के हस्तान्तरण की स्वीकृति भारत सरकार से प्राप्त नहीं होना, अनुदान की सीमा में कटौती, राजस्थान चिकित्सा शिक्षा को कम अनुदान जारी करना, सातवें वेतन आयोग के बकाया का भुगतान नहीं होना, स्वास्थ्य बीमा को 15 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से छूट तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होना।
9.	27-पेयजल योजना	राजस्व-दत्तमत	3,511.88	331.28	3,843.16	3,633.83	209.33 (5.4)	कोषालयों में तकनीकी खराबी के कारण बिजली बिलों का भुगतान नहीं होना, बिजली के बिलों में विरोधाभास, संवेदको द्वारा बिलों का प्रस्तुत नहीं करना तथा वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय।
		पूंजीगत-दत्तमत	3,744.05	-	3,744.05	2,700.23	1,043.82 (27.9)	कार्यों का निष्पादन नहीं/कम होना, परियोजना का कार्यान्वयन नहीं होना तथा भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त नहीं होना।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/ पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								विभाग द्वारा विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
10.	28- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	राजस्व-दत्तमत	1,012.06	-	1012.06	769.29	242.77 (24.0)	भारत सरकार से निधियों कम/देरी से प्राप्त होना/प्राप्त नहीं होना, वार्षिक कार्य योजना 2018-19 की स्वीकृति प्राप्त नहीं होना तथा परियोजना का बन्द होना/ प्रारम्भ नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	308.25	-	308.25	154.13	154.12 (50.0)	जिला परिषदों के निजी निक्षेप खातों में पर्याप्त अव्ययीत राशि की उपलब्धता के कारण राज्य सरकार द्वारा द्वितीय किशत जारी नहीं करना।
11.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	राजस्व-दत्तमत	4,631.46	467.82	5,099.28	4,015.09	1,084.19 (21.3)	राज्य सरकार द्वारा अनुदान कम जारी/जारी नहीं करना, भारत सरकार द्वारा निधियों कम प्राप्त/प्राप्त नहीं होना, राज्य वित्त आयोग के अन्तर्गत नगर निगमों को कम अनुदान जारी करना, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान जारी नहीं करना, योजनाओं का चालू नहीं होना। विभाग द्वारा विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	1,477.17	-	1,477.17	1,280.37	196.80 (13.3)	कार्यों के निष्पादन के लिये निधियों कम जारी करना, निर्माण कार्यों पर कम व्यय, भारत सरकार से निधियों कम प्राप्त होना, परियोजना ऋण लागत के अनुसार व्यय, सीवरेज लाईन का तृतीय चरण के कार्य प्रारम्भ नहीं होना, कार्य की धीमी प्रगति, बजरी की अनुपलब्धता तथा जयपुर मेट्रो रेल कॉरपोरेशन को एशियन डेवलपमेन्ट बैंक से कर्ज कम प्राप्त होना। विभाग द्वारा विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
12.	30- जनजाति क्षेत्रीय विकास	राजस्व-दत्तमत	12,473.80	258.83	12,732.63	12,032.40	700.23 (5.5)	वेतन एवं भत्तों पर कम व्यय, कोषालय द्वारा कुछ बिलों को पारित नहीं किया जाना, अध्यापकों के स्थानान्तरण पर व्यय लेखा शीर्ष में परिवर्तन के कारण, वित्त विभाग द्वारा व्यय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/ पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								की सीमा में कटौती, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्त नहीं होना, पदों का रिक्त रहना, स्वास्थ्य बीमा को 15 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से छूट के कारण अनुदान कम जारी किया जाना, योजना का कार्यान्वयन नहीं होना, बचत सीमा में कटौती, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को विधवा पेंशन योजना में परिवर्तित किया जाना, भारत सरकार द्वारा विभाग को निधियां सीधे ही हस्तान्तरित किया जाना, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ऋण को सहाय्य में बदलना, राज्य सरकार द्वारा शुल्क सहाय्य में कटौती तथा बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अन्त्योदय/अन्नपूर्णा परिवारों के खातों में राशि हस्तांतरित नहीं करना। विभाग द्वारा अन्य शीर्षों में कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	3,632.02	50.00	3,682.02	2,903.21	778.81 (21.1)	भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं होना, कार्यों का निष्पादन कम होना/नहीं होना, परियोजना का कार्यान्वयन नहीं होना, आवश्यकता के अनुसार निधियां जारी नहीं होना, व्यय की कमी, निविदा प्रक्रिया में देरी, बजट सीमा में कटौती, निर्माण कार्यों पर कम व्यय, पिछले वर्षों की निधियां उपलब्ध होना, राज्य सरकार द्वारा साख सीमा में कटौती, निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति, कार्यों का निष्पादन नहीं होना, दिशा-निर्देश जारी नहीं करना, निवेश सीमा में कटौती, निर्माण कार्य परिष्यय के अनुसार प्रतिशतता व्यय का समायोजन तथा सड़क निर्माण कार्यों का कम निष्पादन होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
13.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं	राजस्व-दत्तमत	5,593.90	859.86	6,453.76	5,912.99	540.77 (8.4)	ऋण की उच्च लागत के कारण अनुदान की कम राशि जारी करना/कम स्वीकृत होना, जिला

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
	कल्याण							कार्यालयों से प्रस्ताव प्राप्त नहीं हो सकना, बैंक द्वारा ऋण स्वीकृत नहीं करना, पदों का रिक्त रहना, पोर्टल पर छात्रवृत्तियों के लिए आवेदनों की कम प्राप्ति, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, ग्राम्य शक्ति योजना का क्रियान्वयन नहीं होना, जीवन बीमा निगम द्वारा उपलब्ध कराए गये प्रारूप में आंकड़ें प्राप्त नहीं होना, पात्र लाभार्थियों के आवेदन कम प्राप्त/प्राप्त नहीं होना, वृद्धावस्था पेंशन लाभार्थियों को विधवा पेंशन योजना में हस्तान्तरित करना, स्वयं सहायता समूह के द्वारा समय पर खाद्य बिल प्रस्तुत नहीं करना, राजीव गांधी किशोरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना से संबंधित परिवारों की आधार सूचना उपलब्ध नहीं होना, योजना का अन्य लेखा शीर्ष में हस्तान्तरण होना, समय पर संविदा सेवाओं की निविदा नहीं होना, मानदेय का भुगतान नहीं होना, कोषालय द्वारा बिलों की वापसी, स्कूल मदों की खरीद के लिए निविदा प्रक्रिया का पूरा नहीं होना तथा मरम्मत एवं रखरखाव पर कम व्यय। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
14.	34- प्राकृतिक आपदाओं से राहत	राजस्व-दत्तमत	2,564.72	1,779.41	4,344.13	3,570.19	773.94 (17.8)	सूखा/बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में आवश्यकता अनुसार राहत कार्य निष्पादित किया जाना।
15.	35- विविध सामुदायिक एवं आर्थिक सेवाएं	राजस्व-दत्तमत	310.99	544.82	855.81	722.48	133.33 (15.6)	पदों का रिक्त रहना, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं होना, कम्प्यूटरीकरण पर कम व्यय, कार्यों की धीमी प्रगति, बीपीएल/राज्य बीपीएल/अन्त्योदय/अन्नपूर्णा परिवारों एवं भामाशाह डीजिटल परिवार योजना के खातों में राशि हस्तान्तरित नहीं होना, विज्ञापन एवं प्रचार प्रसार पर कम व्यय, प्रशिक्षण कैम्प

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/ पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								आयोजित नहीं किये जाना, कम्प्यूटरीकरण तथा संबंधित संचार पर कम व्यय। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
16.	36-सहकारिता	पूंजीगत-दत्तमत	32.13	730.00	762.13	634.20	127.93 (16.8)	स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति के आवेदन अनुमान से कम प्राप्त होने तथा वित्त विभाग द्वारा कम स्वीकृति जारी किया जाना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
17.	37-कृषि	राजस्व-दत्तमत	2,507.20	-	2,507.20	2,013.91	493.28 (19.7)	प्रचार-प्रसार पर कम व्यय, प्रस्तावित ग्लोबल राजस्थान एग्रोटैक मीट ग्राम जोधपुर का आयोजन नहीं होना, कृषकों के बीमा दावों का बैंक द्वारा भुगतान नहीं होना, कटाई के लिए प्रोत्साहन पर कम व्यय, राज्य सरकार द्वारा स्मार्ट फोन एवं क्लोज्ड यूजर ग्रुप सिम की स्वीकृति जारी नहीं किया जाना, भारत सरकार द्वारा नये दिशा-निर्देश का खरीफ फसल में क्रियान्वयन नहीं होना, कोषालयों/बैंकों द्वारा बिलों को पारित नहीं करना, राजस्थान कौशल एवं आजीविका विकास निगम के निजी निक्षेप खातों में गत वर्षों की अव्ययीत राशि की उपलब्धता, प्रचार प्रसार कार्यों का निष्पादन कम होना बजट सीमा में कटौती तथा भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति होना।
		पूंजीगत-दत्तमत	391.70	26.00	417.70	183.53	234.17 (56.1)	निर्माण कार्यों पर कम व्यय, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति, भारत सरकार द्वारा सीधे ही विभाग को निधियों का हस्तान्तरण, व्यय की प्रगति अनुसार बजट सीमा में कटौती, कोषालयों द्वारा कुछ बिल पारित नहीं करना तथा गोदामों के निर्माण की धीमी प्रगति। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
18.	41-सामुदायिक विकास	राजस्व-दत्तमत	7,542.14	-	7,542.14	4,450.66	3,091.48 (41.0)	गत वर्ष की अव्ययीत राशि की उपलब्धता, भारत सरकार द्वारा निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं होना। विभाग द्वारा विस्तृत कारण सूचित नहीं किये गये।
19.	42-उद्योग	पूंजीगत-दत्तमत	433.41	-	433.41	21.94	411.47 (94.9)	डीएमआईसी परियोजना के अन्तर्गत कुशखेड़ा-भिवाड़ी-नीमराणा निवेश क्षेत्र में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान नहीं होना।
20.	46-सिंचाई	राजस्व-दत्तमत	2,384.72	-	2,384.72	1,765.95	618.77 (25.9)	वर्ष के दौरान ब्याज की दर में 10 प्रतिशत से 7.5 प्रतिशत की कमी होने के कारण पूंजी लेखे पर ब्याज का कम समायोजन, पदों का रिक्त रहना, राज्य सरकार के निर्णयानुसार पूंजी लेखे पर ब्याज का समायोजन नहीं होना, पंचायत समितियों से सहायतार्थ अनुदान (वेतन) की कम मांग तथा कार्य प्रभारित कर्मचारियों का सेवानिवृत्त होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	1,653.77	-	1,653.77	1,414.63	239.14 (17.7)	अक्टूबर 2018 से मार्च 2019 तक नहर के नियमन होने से नहरी क्षेत्र में ठेकेदारों को निर्माण स्थल की अनुपलब्धता, साख सीमा कम जारी करना, कार्यों का निष्पादन कम होने, निर्माण कार्यों की धीमी प्रगति, इंदिरा गांधी नहर परियोजना के नवीनीकरण तथा आधुनिकीकरण के लिए मरू क्षेत्र हेतु राजस्थान जल क्षेत्र पुर्ननिर्माण परियोजना की आयोजन सीमा में कटौती। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
21.	48-विद्युत्	राजस्व-दत्तमत	15,388.49	-	15,388.49	14,454.61	933.88 (6.1)	राज्य सरकार द्वारा कुल सहायता में कटौती, बिजली वितरण कम्पनियों द्वारा कम्पाउण्डिंग प्रभारों की वसूली के अनुसार सहायता जारी करना।
		पूंजीगत-दत्तमत	2,831.48	-	2,831.48	2,555.21	276.27 (9.8)	निवेश सीमा में कटौती के परिणामतः विद्युत् कम्पनी में कम निवेश तथा एशियन डवलपमेंट बैंक तथा केएफडब्ल्यू से ऋण कम प्राप्त होना।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
22.	50-ग्रामीण रोजगार	राजस्व-दत्तमत	1,814.96	443.30	2,258.26	2,137.92	120.34 (5.3)	प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति।
23.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	राजस्व-दत्तमत	14,046.25	360.53	14,406.78	13,683.69	723.09 (5.0)	बजट सीमा में कटौती, भारत सरकार से निधियों की कम प्राप्ति/प्राप्ति नहीं होना, पदों का रिक्त रहना, छात्रवृत्ति हेतु दावे कम प्राप्त होना, पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु अनुदान कम जारी होना/जारी नहीं होना, स्वास्थ्य बीमा पर लगाये गये 15 प्रतिशत वस्तु एवं सेवा कर से छूट के कारण अनुदान कम जारी होना, राज्य वित्त आयोग के अनुसार नगरपालिकाओं/नगर परिषदों को अनुदान कम जारी होना, योजनाओं का क्रियान्वयन नहीं होना, कोषालयों द्वारा कुछ बिल पारित नहीं करना, बैंक द्वारा कुछ बिलों का भुगतान नहीं करना, विभिन्न संस्थानों से मांग प्राप्त नहीं होना, भारत सरकार द्वारा निधियों का प्रत्यक्ष हस्तान्तरण करना, योजना बन्द होना, ग्राम पंचायतों को निधि कम जारी करना, चौदहवें वित्त आयोग के अन्तर्गत भारत सरकार से निधियाँ कम जारी करना, अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड के ऋण को सहाय्य में कम परिवर्तित करना, सरकार द्वारा विभागीय सहाय्य की दरों में कटौती करना, बीपीएल/स्टेट बीपीएल/अंत्योदय/अन्नपूर्णा परिवारों के खातों में राशि हस्तांतरित नहीं करना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
		पूंजीगत-दत्तमत	5,243.39	50.00	5,293.39	3,959.49	1,333.90 (25.2)	कार्यकारी अभिकरणों की मांग के अनुसार निधियाँ जारी नहीं करना, कार्यों का कम निष्पादन, खेल विभाग से प्रस्ताव प्राप्त नहीं होना, भूमि पर स्वामित्व विवाद, निधियों की अनुपलब्धता, निविदा प्रक्रिया में देरी, कार्यों का कम निष्पादन, भारत सरकार से स्वीकृति प्राप्त नहीं होना,

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	राजस्व/पूंजीगत	मूल प्रावधान	अनुपूरक प्रावधान	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें (बचतों का प्रतिशत)	विनियोग लेखाओं में बताये गये बचतों के कारण
								परियोजना/कार्यालय प्रारंभ नहीं होना, बजट सीमा में कटौती, पिछले वर्षों की निधियों उपलब्ध होना, राज्य सरकार द्वारा साख सीमा में कटौती, कार्यों की धीमी प्रगति, निर्माण कार्यों का कार्यान्वयन नहीं होना, निवेश सीमा में कटौती एवं भूमि के अधिग्रहण हेतु मुआवजे का भुगतान नहीं होना। विभाग द्वारा अन्य प्रकरणों में कारण सूचित नहीं किये गये।
	योग		1,14,433.17	6,774.46	1,21,207.63	1,03,817.94	17,389.69	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.4

(अनुच्छेद 2.3.4 देखें; पृष्ठ 77)

विभिन्न अनुदानों का विवरण-पत्र, जहाँ वर्ष 2016-19 के दौरान निरन्तर बचतें कुल प्रावधान से प्रत्येक प्रकरण में ₹ 100 करोड़ से अधिक रही।

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अनुदान की संख्या तथा नाम	वर्ष	कुल प्रावधान	वास्तविक व्यय	बचतें	बचतों का प्रतिशत
राजस्व-दत्तमत						
1.	28- ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2016-17	949.64	741.41	208.23	21.9
		2017-18	934.93	770.68	164.25	17.6
		2018-19	1,012.06	769.29	242.77	24.0
2.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2016-17	4,833.04	4,206.51	626.53	13.0
		2017-18	4,984.89	3,881.28	1,103.61	22.1
		2018-19	5,099.28	4,015.09	1,084.19	21.3
3.	37- कृषि	2016-17	2,482.89	2,160.90	321.99	13.0
		2017-18	2,471.37	2,212.86	258.51	10.5
		2018-19	2,507.20	2,013.91	493.29	19.7
पूँजीगत-दत्तमत						
4.	19- लोक निर्माण कार्य	2016-17	1,617.69	719.52	898.17	55.5
		2017-18	1,509.83	884.68	625.15	41.4
		2018-19	1,024.80	560.35	464.45	45.3
5.	27- पेयजल योजना	2016-17	3,876.33	2,980.11	896.22	23.1
		2017-18	3,901.51	3,218.49	683.02	17.5
		2018-19	3,744.05	2,700.23	1,043.82	27.9
6.	29- नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2016-17	1,742.68	959.45	783.23	44.9
		2017-18	1,501.58	950.74	550.84	36.7
		2018-19	1,477.17	1,280.37	196.80	13.3
7.	46- सिंचाई	2016-17	1,503.68	1,264.09	239.59	15.9
		2017-18	1,616.99	1,381.46	235.53	14.6
		2018-19	1,653.77	1,414.63	239.14	14.5

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.5

(अनुच्छेद 2.3.5 देखें; पृष्ठ 83)

प्रकरण जहाँ अनुपूरक प्रावधान (प्रत्येक मामले में ₹ 1 करोड़ या अधिक) अनावश्यक सिद्ध हुए

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या तथा नाम	मूल प्रावधान	वास्तविक व्यय	मूल प्रावधान में से बचत	अनुपूरक प्रावधान
राजस्व-दत्तमत					
1.	3-सचिवालय	282.98	277.21	5.77	16.16
2.	14-बिक्री कर	1,368.95	1,120.87	248.08	18.13
3.	17- जेल	203.53	189.74	13.79	2.96
4.	19-लोक निर्माण कार्य	495.91	476.82	19.09	43.38
5.	21-सड़कें एवं पुल	1,535.23	1,362.34	172.89	133.41
6.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4631.46	4015.09	616.37	467.82
7.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	12,473.80	12,032.40	441.40	258.83
8.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	14,046.25	13,683.69	362.56	360.53
राजस्व-प्रभारित					
9.	6-न्याय प्रशासन	136.97	127.55	9.42	1.75
पूँजीगत-दत्तमत					
10.	21-सड़कें एवं पुल	4,620.21	4,025.55	594.66	309.10
11.	21-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	588.51	561.67	26.84	100.72
12.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	3,632.02	2,903.21	728.81	50.00
13.	33-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	188.63	161.51	27.12	13.44
14.	37-कृषि	391.70	183.53	208.17	26.00
15.	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	5,243.39	3,959.49	1,283.90	50.00
	योग	49,839.54	45,080.67	4,758.87	1,852.23

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.6

(अनुच्छेद 2.3.6 देखें; पृष्ठ 84)

निधियों का अत्यधिक/अनावश्यक/अपर्याप्त पुनर्विनियोजन (जहाँ पुनर्विनियोजन एवं अंतिम आधिक्य/बचतें ₹ 1 करोड़ से अधिक थीं)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
निधियों का अपर्याप्त पुनर्विनियोजन					
1.	12	अन्य कर	3055-800-08-01 परिवहन विभाग के माध्यम से	(-) 28.18	(-) 2.28
2.	27	पेयजल योजना	2215-01-101-08 जलपूर्ति योजना जोधपुर-प्रतिबद्ध	(-) 12.63	(-) 1.22
3.			2215-01-101-11 जलपूर्ति योजना उदयपुर-प्रतिबद्ध	(-) 7.18	(-) 1.89
4.			4215-01-102-03-01 अन्य ग्रामीण जलपूर्ति योजना	(-) 86.63	(-) 1.94
5.			4215-01-102-54 फतेहपुर-लक्ष्मणगढ़ पेयजल योजना	(-) 3.27	(-) 2.12
6.			33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-03-277-02 अन्य पिछड़े वर्गों के लिये छात्रवृत्ति तथा वजीफा
7.	2236-02-101-01-01 पोषाहार केश योजना	(-) 47.73			(-) 1.32
8.	2236-02-101-01-02 एकीकृत बाल विकास योजना	(-) 54.68			(-) 1.14
9.	2236-02-197-01-02 ब्लॉक/मध्यवर्ती पंचायत स्तरीय संस्थापन व्यय	(-) 239.52			(-) 1.52
10.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-02-114-09-01 बाढ़	(-) 89.48	(-) 196.17
11.			2245-02-114-09-02 ओलावृष्टि	(-) 32.08	(-) 8.50
12.			2245-05-101-02-01 राज्य आपदा मोचन निधि को अंतरण	(-) 31.50	(-) 95.78
13.	46	सिंचाई	2700-04-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	(-) 28.42	(-) 10.71
14.			2701-80-005-01-02 निष्पादन	(-) 6.31	(-) 1.23
15.			4700-32-001-01-01 निर्माण कार्य	(-) 110.06	(-) 10.97
16.			4700-34-001-01-01 निर्माण कार्य	(-) 61.97	(-) 7.51
17.			4702-101-02-04 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय-स्थापना	(+) 1.64	(+) 3.50

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)
18.	46	सिंचाई	4702-101-07-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय	(+) 1.29	(+) 1.94
19.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4702-789-02-01 लघु सिंचाई परियोजना	(+) 1.30	(+) 1.22
20.			4711-01-789-02-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग, राजस्थान, जयपुर के माध्यम से	(+) 2.26	(+) 1.46
निधियों का अनावश्यक पुनर्विनियोजन					
21.	27	पेयजल योजना	2215-01-101-09 जोधपुर लिफ्ट कैनल, जोधपुर-प्रतिबद्ध	(+) 4.46	(-) 8.68
22	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-800-08-01 स्वायत्त शासन विभाग के माध्यम से	(+) 10.23	(-) 210.59
23	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-03-05 कृषि फसलों, बागवानी फसलों एवं वार्षिक लगान फसलों के लिए लघु सीमांत कृषकों को कृषि आदान अनुदान	(+) 18.48	(-) 105.04
24	46	सिंचाई	2700-80-800-02-01 राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया-प्रतिबद्ध	(+) 12.33	(-) 12.33
25			4700-32-001-02 मुख्य शीर्ष 2701 से स्थानान्तरित आनुपातिक व्यय (स्थापना)	(-) 23.84	(+) 34.06
26	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	4215-01-789-01-48 चम्बल भीलवाड़ा जल प्रदाय योजना- कलस्टर	(+) 4.39	(-) 26.78
निधियों का अत्यधिक पुनर्विनियोजन					
27	21	सड़कें एवं पुल	5054-03-337-11 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-1 (एशियाई विकास बैंक)	(+) 34.37	(-) 2.81
28	27	पेयजल योजना	4215-01-102-02-03 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति एवं सफाई 02-001(09)से स्थानान्तरित प्रतिशतता व्यय (प्रोरेटा)	(+) 11.45	(-) 3.45
29			4215-01-102-71 चम्बल-भीलवाड़ा जलपूर्ति योजना-कलस्टर	(+) 39.47	(-) 14.34

(₹ करोड़ में)						
क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखाशीर्ष	पुनर्विनियोजन	अंतिम आधिक्य (+)/बचत (-)	
30	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	4217-60-050-03 राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी द्वितीय चरण (ईएपी)	(+) 5.36	(-) 1.14	
31	30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2202-02-107-06-02 पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	(+) 30.87	(-) 1.23	
32			2235-60-196-03-03 अनुसूचित जनजातियों के लिए मुख्यमंत्री विधवा सम्मान पेंशन योजना	(+) 142.49	(-) 1.31	
33			3456-796-03-03 अंत्योदय परिवार अन्न योजना के अतिरिक्त परिवारों हेतु	(+) 30.80	(-) 1.26	
34	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-60-196-04-01 अनुसूचित जातियों के लिये मुख्यमंत्री विशेष योग्यजन सम्मान पेंशन योजना	(+) 67.58	(-) 1.06	
35			2225-03-196-05-02 विशेष पिछड़े वर्ग के लिए उत्तर मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना	(+) 6.00	(-) 2.23	
36	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-800-03-06 लघु सीमांत कृषकों से भिन्न के लिए कृषि आदान अनुदान	(+) 452.03	(-) 78.25	
37			2245-02-114-10-01 बाढ़	(+) 64.68	(-) 22.79	
38	46	सिंचाई	4711-01-103-03-03 अन्य जिले	(+) 9.96	(-) 1.16	
39	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2236-02-789-01-01 पोषाहार केश कार्यक्रम	(+) 20.95	(-) 1.25	
40				2202-02-107-05-02 पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ	(+) 10.65	(-) 8.28
41				2225-01-789-01 अनुसूचित जातियों के लिए छात्रवृत्तियाँ	(+) 96.59	(-) 14.28
42				4700-32-789-01 निर्माण कार्य	(-) 100.76	(+) 5.68
43				5054-03-789-10 राजस्थान राजमार्ग विकास परियोजना-1 (एशियाई विकास बैंक)	(+) 8.88	(-) 2.21
					(-) 868.58 (+) 47.86	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.7

(अनुच्छेद 2.3.7 देखें; पृष्ठ 85)

₹ 1 करोड़ एवं अधिक की अनभ्यर्पित बचतों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	बचत	अभ्यर्पण	अभ्यर्पित रहने से शेष रही बचतें
1	2	3	4	5
	राजस्व-प्रभारित			
1	ब्याज अदायगियां	42.18	40.49	1.69
2	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	10.67	4.20	6.47
	राजस्व-दत्तमत			
3	7-निर्वाचन	14.64	11.76	2.88
4	9-वन	104.71	103.60	1.11
5	12-अन्य कर	128.82	127.42	1.40
6	15-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ	209.92	133.13	76.79
7	16-पुलिस	70.69	64.93	5.76
8	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	502.35	492.86	9.49
9	26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	504.22	498.41	5.81
10	27-पेयजल योजना	209.33	185.57	23.76
11	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	1,084.19	873.60	210.59
12	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	700.23	680.90	19.33
13	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	540.77	507.73	33.04
14	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	364.64*	261.20	103.44
15	39-पशुपालन एवं चिकित्सा	57.52	56.12	1.40
16	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	723.10	691.07	32.03
	पूंजीगत-दत्तमत			
17	9-वन	40.03	38.90	1.13
18	19-लोक निर्माण कार्य	464.45	462.75	1.70
19	21-सड़कें एवं पुल	903.75	898.10	5.65
20	22-क्षेत्र का विकास	121.81	120.59	1.22
21	27-पेयजल योजना	1,043.82	1,017.39	26.43
22	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	196.80	192.22	4.58
23	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	778.81	773.93	4.88
24	51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	1,333.90	1,294.92	38.98
	योग	10,151.35	9,531.79	619.56

स्रोत: विनियोग लेखे

*(₹ 773.94 करोड़ - ₹ 409.30 करोड़)

परिशिष्ट 2.8

(अनुच्छेद 2.3.8 देखें; पृष्ठ 85)

एक-मुश्त प्रावधानों का विवरण (जहाँ अभ्यर्पण प्रत्येक प्रकरण में ₹ 15 करोड़ से अधिक तथा कुल बजट प्रावधानों के 50 प्रतिशत या उससे भी अधिक था)

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
1.	12	अन्य कर	3055-800-08-01 परिवहन विभाग के माध्यम से	89.42	80.40	89.91
2.	14	बिक्री कर	2040-800-02-05 रोजगारोन्मुख सहाय्य	30.25	16.38	54.15
3.			2040-800-02-07 निवेश सहाय्य (आरआईपीएस 2014)	102.25	61.04	59.70
4.	19	लोक निर्माण कार्य	4059-80-001-01-91 स्थापना व्यय हेतु प्रतिशतता व्यय (2059)	27.30	15.71	57.55
5.			4059-80-051-22 सामान्य भवन (वाणिज्यिक कर विभाग)	45.02	32.11	71.32
6.			4210-03-105-01-90 निर्माण कार्य	26.96	19.04	70.62
7.			4210-03-105-11-90 निर्माण कार्य	302.75	176.70	58.36
8.	21	सड़कें एवं पुल	3054-04-800-01-03 अति विशिष्ट व्यक्तियों की यात्रा पर व्यय-प्रतिबद्ध	43.54	41.32	94.90
9.			3054-02-337-01-02 रखरखाव एवं पुर्नस्थापना	173.49	88.06	50.76
10.			5054-03-337-04 सड़कों के नवीनीकरण एवं आधुनिकीकरण के लिए प्रावधान	182.18	158.31	86.90
11.			5054-03-337-16-01 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में सड़क का निर्माण कार्य	530.97	331.86	62.50
12.			5054-04-800-11-17 सड़क उन्नयन परियोजना (एकविशतितमः)	42.86	35.56	82.97
13.			22	क्षेत्र का विकास	4575-02-102-01-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	33.44
14.	25	कोषागार व लेखा प्रशासन	2054-800-04-01 विश्व बैंक द्वारा पोषित	44.55	32.69	73.38
15.	26	चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-03-01 राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	100.10	64.49	64.43
16.			2210-05-105-06-01 सहाय्यार्थ अनुदान	314.90	240.90	76.50
17.			2210-05-105-08-01 झालावाड़ अस्पताल एवं मेडिकल कॉलेज सोसायटी	15.30	15.30	100
18.			2211-800-03-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन (एनयूएचएम)	76.58	41.98	54.82
19.	27	पेयजल योजना	4215-01-101-01-31 चम्बल-बालेर-सवाईमाधोपुर जलप्रदाय योजना	34.35	22.07	64.25
20.			4215-01-101-11-02 बीसलपुर-जयपुर जल प्रदाय परियोजना, फेज-11 (शहरी)	34.35	30.53	88.88
21.			4215-01-102-01-23 बीसलपुर बांध से टॉक, उनियारा एवं देवली जलपूर्ति योजना	34.01	22.64	66.57
22.			4215-01-102-01-54	25.81	25.81	100

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
23.	27	पेयजल योजना	जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गांवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)			
24.	4215-01-102-01-58		जिला बारां की अंता-मांगरोल तहसील की सोनवा पेयजल परियोजना	22.95	15.06	65.62
25.	4215-01-102-03-05		मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ एण्ड एम)	195.66	111.54	57.01
26.	4215-01-102-19		चम्बल-बालेर सवाईमाधोपुर जल प्रदाय योजना	28.68	17.18	59.90
27.	4215-01-102-50		बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-11	43.95	43.95	100
28.	4215-01-102-61		बाडमेर लिफ्ट कैनाल जलप्रदाय परियोजना फेज-11, भाग-ब (68 गांवों की कलस्टर योजना)	22.95	17.68	77.04
29.	4215-01-102-68		बीसलपुर-दूधू परियोजना, चाकसू, फागी एवं बस्सी	38.76	24.06	62.07
30.	4215-01-102-85		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डीडीपी)	64.88	47.61	73.38
31.	4215-01-102-86		राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम जल गुणवत्ता के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित राशि	25.95	22.28	85.86
31.	28		ग्रामीण विकास के लिए विशेष कार्यक्रम	2501-06-196-06-01 अनुदान	139.50	81.58
32.	2501-06-196-10-01 अनुदान	43.41		42.84	98.69	
33.	2515-196-05-01 कार्यकलाप संबंधी	24.69		18.71	75.78	
34.	4515-101-11 विधायक स्थानीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम	308.25		154.12	50	
35.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01-01 अजमेर स्मार्ट सिटी	140.80	140.80	100
36.	2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी		141.40	141.40	100	
37.	2217-05-800-01-02 जयपुर स्मार्ट सिटी		176.00	176.00	100	
38.	2217-05-800-01-03 उदयपुर स्मार्ट सिटी		176.00	176.00	100	
39.	2217-80-191-36-01 स्वच्छ भारत मिशन		30.37	30.37	100	
40.	2217-80-191-39-01 सबके लिए आवास (शहरी)		48.09	47.97	99.75	
41.	2217-80-191-42-04 चौदहवें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान		44.80	44.80	100	
42.	2217-80-192-36-01 विद्युत प्रभार हेतु - प्रतिबद्ध		21.00	21.00	100	
43.	2217-80-192-39-01 स्वच्छ भारत मिशन		71.53	71.53	100	
44.	2217-80-192-41-01 सबके लिए आवास (शहरी)		140.81	140.49	99.77	
45.	2217-80-192-46-04 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान		111.45	111.45	100	

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
46.	29	नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-80-797-02 राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध	200.00	200.00	100
47.			4217-03-800-02-07 विभिन्न शहरी निकायों के लिए	44.65	32.06	71.80
48.			4217-04-800-04 स्लम मुक्त भारत हेतु राजीव आवास योजना	52.87	28.22	53.38
49.			4217-60-050-04 राजस्थान अरबन सेक्टर डवलपमेंट इनवेस्टमेंट प्रोग्राम (आरयूएसडीआईपी) आरयूआईडीपी तृतीय चरण (ईएपी) निर्माण कार्य	495.00	250.15	50.54
50.			4217-60-190-04-01 अजमेर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	35.20	35.20	100
51.			4217-60-190-04-04 कोटा स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	34.60	34.60	100
52.			30	जनजाति क्षेत्रीय विकास	2211-796-07-03 राष्ट्रीय शहरी स्वास्थ्य मिशन	25.20
53.	2217-80-192-41-03 सबके लिए आवास- जनजातिय क्षेत्र उपयोगना	27.63			27.57	99.78
54.	2217-80-192-46-06 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	21.87			21.87	100
55.	2401-796-96-01 कृषि विभाग के माध्यम से	24.50			20.38	83.18
56.	2501-06-196-06-02 अनुदान	58.59			34.26	58.47
57.	2501-06-196-10-02 अनुदान	18.23			18.01	98.79
58.	2515-198-34-02 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	46.38			46.38	100
59.	4059-80-796-03-02 अन्य भवन	23.81			20.81	87.40
60.	4210-03-796-01-05 चिकित्सा महाविद्यालय एवं संलग्न चिकित्सालय समूह, जोधपुर	38.45			27.11	70.51
61.	4215-01-796-01-02 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति एवं सफाई-01-102 से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संभारण-प्रतिशतता व्यय (ओ एण्ड एम)	46.08			23.95	51.97
62.	4215-01-796-02-58 बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)	24.00			23.25	96.88
63.	4515-796-05-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	60.75			30.37	50
64.	4515-796-13-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	16.76			16.76	100
65.	4700-45-796-01-01 निर्माण कार्य	30.00			30.00	100
66.	4700-80-796-02-01 राजस्थान वाटर सेक्टर री-स्ट्रक्चरिंग प्रोजेक्ट फॉर डेजर्ट एरिया	69.00			39.78	57.65
67.	5054-03-796-03 लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण	35.79	31.03	86.70		
68.	33	सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2225-01-793-01 अनुसूचित जाति उपयोगना	60.00	59.86	99.77
69.			2236-02-101-01-10 आईसीडीएस- IV (विश्व बैंक)	117.34	74.03	63.09

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
70.			2236-02-101-01-12 राजीव गांधी कृषिरी बालिका सशक्तिकरण एवं पोषाहार योजना	51.13	49.95	97.69
71.			2236-02-101-01-13 सशर्त मातृत्व लाभ योजना	44.96	29.86	66.41
72.			4236-02-800-10 आईसीडीएस मिशन मोड के अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र उन्नयन एवं रखरखाव मय शिशु-गृह निर्माण	16.16	16.16	100
73.	34	प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-102-11-01 ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपातकालीन आपूर्ति	22.50	21.97	97.64
74.			2245-01-102-11-04 जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग के माध्यम से जलपूर्ति	76.89	69.51	90.40
75.			2245-01-104-09-01 परिवहन	25.00	25.00	100
76.			2245-01-104-09-04 पशु शिविर/गौशाला	160.00	135.49	84.68
77.			2245-01-800-03-04 तलाशी, बचाव एवं संचार आदि उपाय एवं उपकरणों का क्रय	50.00	49.05	98.10
78.			2245-02-106-08-01 सड़कों की मरम्मत तथा पुर्नःस्थापना	70.00	70.00	100
79.			2245-02-114-09-01 बाढ़	141.00	90.83	64.42
80.			2245-02-114-09-02 ओलावृष्टि	45.00	43.01	95.58
81.			2245-02-122-02-01 बाढ़ से प्रभावित क्षतिग्रस्त सिंचाई एवं निर्माण कार्य हेतु सहायता	35.00	23.21	66.31
82.	36	सहकारिता	4425-195-01-02 केन्द्रीय सहकारी बैंकों हेतु निवेश	150.00	76.24	50.83
83.			6425-108-07 स्पिन फेड/कॉटन कॉम्प्लेक्स को उधार	25.00	21.69	86.76
84.	37	कृषि	2401-109-02 कृषि सूचना	25.83	24.21	93.73
85.			2401-196-06-31 परम्परागत कृषि विकास योजना	33.75	19.74	58.49
86.			2401-800-23 आजीविका मिशन	47.70	27.09	56.79
87.			2401-800-27-01 कृषि विभाग के माध्यम से	115.97	82.27	70.94
88.			4401-800-03-02 उद्यान विभाग के माध्यम से	32.51	26.78	82.37
89.			4401-800-03-03 पशुपालन विभाग के माध्यम से	22.00	16.42	74.64
90.			4401-800-04-04 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से	64.40	64.40	100
91.			6408-02-190-01-01 राजस्थान राज्य भण्डार व्यवस्था निगम को उधार	80.00	53.00	66.25
92.	41	सामुदायिक विकास	2515-198-34-01 कार्यकलाप/गतिविधियाँ	235.35	235.35	100
93.	42	उद्योग	2851-111-05-01 ऋण पर न्याज अनुदान	20.00	20.00	100

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
94.			4885-60-800-24 दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा (डीएमआईसी)	418.64	411.10	98.20
95.	43	खनिज	4802-02-190-04-01 रिफायनरी	113.00	66.20	58.58
96.	46	सिंचाई	2700-03-800-01-01 पूंजी लेखों पर ब्याज-प्रतिबद्ध	15.85	15.85	100
97.			2700-04-800-02-01 मुख्य अभियंता, जल संसाधन (उत्तर) के माध्यम से -प्रतिबद्ध	37.55	25.49	67.88
98.			2701-24-800-01 अन्य व्यय -प्रतिबद्ध	21.83	21.83	100
99.	46	सिंचाई	2700-02-800-03 अन्य व्यय -प्रतिबद्ध	70.93	39.70	55.97
100.			4700-02-001-04-01 मुख्य नहर	33.00	30.00	90.91
101.			4700-02-001-05-05 पुनर्जीवीकरण/उन्नयन/आधुनिकीकरण	35.45	17.93	50.58
102.			4700-41-001-01-01 निर्माण कार्य	15.00	15.00	100
103.			4700-42-001-01-01 निर्माण कार्य	15.00	15.00	100
104.	50	ग्रामीण रोजगार	4515-101-20-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	85.90	85.90	100
105.	51	अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु	2217-80-192-39-02 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	18.57	18.57	100
106.		विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-192-41-02 सबके लिए आवास- अनुसूचित जातियों के लिए उपयोग	36.55	36.47	99.78
107.			2217-80-192-46-05 चौदहवे वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	28.93	28.93	100
108.			2401-789-02-05 प्रवाह सिंचाई से बूंद-बूंद सिंचाई में रूपान्तरण हेतु (प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना-सूक्ष्म सिंचाई)	21.27	15.11	71.04
109.			2401-789-03-01 कृषि विभाग के माध्यम से	27.14	17.71	65.25
110.			2401-789-09-01 कृषि विभाग के माध्यम से	32.72	19.43	59.38
111.			2501-06-196-10-03 अनुदान	25.18	24.84	98.65
112.			2851-789-26-01 ऋण पर ब्याज अनुदान	20.00	20.00	100
113.			4210-01-789-01-90 निर्माण कार्य	49.52	26.52	53.55
114.			4210-02-789-01-90 निर्माण कार्य	32.54	18.92	58.14
115.			4215-01-789-01-63 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (डीडीपी)	19.92	15.64	78.51
116.			4215-01-789-01-65 राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के लिए संचालन एवं संधारण पर प्रतिशतता व्यय	43.35	28.04	64.68
117.			4215-01-789-02-46 चम्बल, धौलपुर भरतपुर परियोजना फेज-प्रथम, भाग-II (शहरी)	18.90	16.95	89.68
118.			4215-01-789-02-58 बीसलपुर-जयपुर जलप्रदाय परियोजना द्वितीय चरण (शहरी)	36.00	35.01	97.25

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान संख्या	विवरण	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान	अभ्यर्पित राशि	अभ्यर्पित राशि की प्रतिशतता
119			4515-789-04-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	81	40.50	50
120			4515-789-13-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	22.34	22.34	100
121			4700-34-789-01 निर्माण कार्य	27.00	20.04	74.22
122			4885-60-789-02-01 भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति	50.00	50.00	100
123.			5054-03-789-03 लघु जिला सड़कों का सुदृढीकरण, आधुनिकीकरण, जीर्णोद्धार तथा चौड़ाईकरण	47.52	41.24	86.78
			योग	9,069.71	6,960.31	76.74

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.9

(अनुच्छेद 2.3.10 देखें; पृष्ठ 86)

योजनाओं का विवरण जिनमें ₹ 10 करोड़ या अधिक का सम्पूर्ण प्रावधान अनुपयोजित रहा

(₹ करोड़ में)

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू. + अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत	
1.	8-राजस्व	2029-103-09-01 वैश्विक सूचना प्रणाली प्रयोगशाला	11.70	-	11.70	100	
2.	22-क्षेत्र का विकास	4575-02-102-01-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	33.44	-	33.44	100	
3.	24-शिक्षा, कला एवं संस्कृति	2202-02-107-11 अल्पसंख्यक वर्ग के छात्र-छात्राओं को पूर्व मैट्रिक छात्रवृत्ति	45.21	-	45.21	100	
4.		2202-02-109-12 शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र के राजकीय विद्यालयों में अध्ययनरत कक्षा 9 की छात्राओं को परिवहन वाउचर की सुविधा	12.42	-	12.42	100	
5.		2202-02-109-18 आईसीटी (केन्द्रीय प्रवर्तित योजना)	16.80	-	16.80	100	
6.		2202-02-109-31-01 सार्वजनिक निजी सहभागिता योजनाओं के अन्तर्गत सरकारी विद्यालयों को सहायताार्थ अनुदान	125.00	-	125.00	100	
7.		4202-02-104-02 निदेशक, तकनीकी शिक्षा के माध्यम से	10.04	-	10.04	100	
8.		26-चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य और सफाई	2210-05-105-08-01 झालावाड़ अस्पताल एवं चिकित्सा महाविद्यालय सोसायटी	15.30	-	15.30	100
9.			4210-03-105-12-01 एसएमएस चिकित्सा महाविद्यालय, जयपुर	14.00	-	14.00	100
10.	4210-03-105-13-01 चिकित्सा महाविद्यालय, बीकानेर		11.01	-	11.01	100	
11.	27-पेयजल योजना	4215-01-102-01-54 जाखम बांध से जिला प्रतापगढ़ के गाँवों की पेयजल परियोजना (ग्रामीण)	25.81	-	25.81	100	
12.		4215-01-102-01-60 झालीजी का बराना पेयजल परियोजना	12.40	-	12.40	100	
13.		4215-01-102-01-61 गरडदा पेयजल परियोजना	12.40	-	12.40	100	
14.		4215-01-102-01-62 कछावन पेयजल परियोजना	12.40	-	12.40	100	
15.		4215-01-102-03-05 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 (के.प्र.यो) से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण प्रतिशतता व्यय (ओ एण्ड एम)	80.43	-	80.43	100	
16.		4215-01-102-50 बाडमेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फेज-11 (के.प्र.यो)	15.27	-	15.27	100	
17.	29-नगर आयोजना एवं प्रादेशिक विकास	2217-05-800-01-01 अजमेर स्मार्ट सिटी	140.80	-	140.80	100	
18.		2217-05-800-01-02 जयपुर स्मार्ट सिटी	176.00	-	176.00	100	
19.		2217-05-800-01-03 उदयपुर स्मार्ट सिटी	176.00	-	176.00	100	
20.		2217-05-800-01-04 कोटा स्मार्ट सिटी	141.40	-	141.40	100	

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू. + अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
21.		2217-80-192-36-01 विद्युत प्रभार हेतु-प्रतिबद्ध	21.00	-	21.00	100
22.		2217-80-192-39-01 स्वच्छ भारत मिशन	71.53	-	71.53	
23.		2217-80-192-46-04 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	111.45	-	111.45	100
24.		2217-80-797-01-02 राजस्थान शहरी विकास निधि-प्रतिबद्ध	200.00	-	200.00	100
25.		2217-80-191-36-01 स्वच्छ भारत मिशन	30.37	-	30.37	100
26.		2217-80-191-42-04 चौदहवें वित्त आयोग के तहत निष्पादन अनुदान	44.80	-	44.80	100
27.		4217-60-190-04-01 अजमेर स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	35.20	-	35.20	100
28.		4217-60-190-04-04 कोटा स्मार्ट सिटी निगम लिमिटेड	34.60	-	34.60	100
29.	30-जनजाति क्षेत्रीय विकास	2217-80-192-39-03 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जनजातियों के लिए)	14.04	-	14.04	100
30.		2217-80-192-46-06 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	21.87	-	21.87	100
31.		2225-02-796-09-44 सोलर लाईटों के लिए अनुदान	10.00	-	10.00	100
32.		2401-796-76-04 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से	11.96	-	11.96	100
33.		2515-198-34-02 कार्यकलाप संबंधी	46.38	-	46.38	100
34.		2851-796-25-01 ऋण पर ब्याज अनुदान	10.00	-	10.00	100
35.		4202-01-796-12-01 सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य (आयोजना)	10.80	-	10.80	100
36.		4210-03-796-05-02 चिकित्सा विश्वविद्यालय, उदयपुर	14.17	-	14.17	100
37.		4210-03-796-05-03 चिकित्सा विश्वविद्यालय, अजमेर	14.17	-	14.17	100
38.		4215-01-796-01-02 मुख्य शीर्ष 2215-जलपूर्ति और सफाई-01-102 (के.प्र.यो)से स्थानान्तरित ग्रामीण योजनाओं के लिए संधारण में प्रतिशतता व्यय (ओ एण्ड एम)	15.76	-	15.76	100
39.		4515-796-13-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	16.76	-	16.76	100
40.		4700-43-796-01-01 निर्माण कार्य	10.00	-	10.00	100
41.		4700-44-796-01-01 निर्माण कार्य	10.00	-	10.00	100
42.		4700-45-796-01-01 निर्माण कार्य	30.00	-	30.00	100
43.	33-सामाजिक सुरक्षा और कल्याण	2235-02-196-19-18 बीपीएल परिवारों को जन बीमा योजना (प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एवं प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना) हेतु सहायता	12.48	-	12.48	100
44.		4236-02-800-09 आईसीडीएस मिशन मोड अन्तर्गत आंगनबाडी केन्द्र निर्माण	13.96	-	13.96	100

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू. अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत	
45.		4236-02-800-10 आईसीडीएस मिशन मोड अन्तर्गत आंगनबाडी केंद्र उन्नयन एवं रखरखाव मय शिशु गृह निर्माण	16.16	-	16.16	100	
46.	34-प्राकृतिक आपदाओं से राहत	2245-01-104-09-01 परिवहन	25.00	-	25.00	100	
47.		2245-01-104-09-02 पशु पोषण केंद्र	10.00	-	10.00	100	
48.		2245-02-106-08-01 सड़कों की मरम्मत तथा पुनःस्थापना	70.00	-	70.00	100	
49.	36-सहकारिता	2425-107-25 कोर बैंकिंग	22.28	-	22.28	100	
50.		2425-107-27 ग्राम सेवा सहकारी समिति	12.00	-	12.00		
51.	37-कृषि	2401-800-23 आजीविका मिशन (के.प्र.यो)	14.19	-	14.19	100	
52.		4401-800-04-04 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से	64.40	-	64.40	100	
53.		4401-800-06-04 पशुपालन विभाग के माध्यम से	18.13	-	18.13	100	
54.	41-सामुदायिक विकास	2515-198-34-01 कार्यकलाप/गतिविधियां	235.35	-	235.35	100	
55.	42-उद्योग	2851-111-05-01 ऋण पर ब्याज अनुदान	20.00	-	20.00	100	
56.	46-सिंचाई	2700-800-01-01 पूँजी लेखों पर ब्याज -प्रतिबद्ध	15.85	-	15.85	100	
57.		2701-23-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	12.38	-	12.38	100	
58.		2701-24-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	21.83	-	21.83	100	
59.		2701-35-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	10.70	-	10.70	100	
60.		2701-43-800-01 अन्य व्यय-प्रतिबद्ध	10.17	-	10.17	100	
61.		4700-41-001-01-01 निर्माण कार्य	15.00	-	15.00	100	
62.		4700-42-001-01-01 निर्माण कार्य	15.00	-	15.00	100	
63.		50-ग्रामीण रोजगार	4515-101-20-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	85.90	-	85.90	100
64.		51-अनुसूचित जाति के कल्याण हेतु विशिष्ट संघटक योजना	2217-80-191-42-05 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान	11.63	-	11.63	100
65.			2217-80-192-39-02 स्वच्छ भारत मिशन (अनुसूचित जातियों के लिए)	18.57	-	18.57	100
66.	2217-80-192-46-05 चौदहवें वित्त आयोग के तहत मूल अनुदान		28.93	-	28.93	100	
67.	2401-789-09-04 जलग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग के माध्यम से		14.96	-	14.96	100	
68.	2515-198-34-03 कार्यकलाप/गतिविधियां		61.84	-	61.84	100	
69.	2851-789-26-01 ऋण पर ब्याज अनुदान		20.00	-	20.00	100	
70.	4202-01-789-07-01 सर्व शिक्षा अभियान-निर्माण कार्य (आयोजना)		14.40	-	14.40	100	

क्रम संख्या	अनुदान की संख्या एवं नाम	लेखा शीर्ष	कुल प्रावधान (मू.+ अनु)	व्यय	बचत राशि	बचतों का प्रतिशत
71.		4215-01-789-01-19 बाड़मेर लिफ्ट कैनाल जल प्रदाय परियोजना फंज- II	12.94	-	12.94	100
72.		4515-789-13-01 जिला परिषद (ग्रामीण विकास प्रकोष्ठ) हेतु	22.34	-	22.34	100
73.		4885-60-789-02-01 भूमि अधिग्रहण हेतु मुआवजा एवं क्षतिपूर्ति	50.00	-	50.00	100
74.	व्याज अदायगियाँ	2049-01-101-05-99 नये ऋण	1,494.00	-	1,494.00	100
		कुल	4,343.08		4,343.08	

स्रोत: विनियोग लेखे

परिशिष्ट 2.10

(अनुच्छेद 2.5 देखें; पृष्ठ 97)

वर्ष 2018-19 तक बकाया सारांशीकृत आकस्मिक बिलों की स्थिति

(₹ लाख में)

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
1.	2015	2018-19	25	227.24
	योग		25	227.24
2.	2029	2007-08	1	292.18
		2018-19	1	19.50
	योग		2	311.68
3.	2051	2016-17	1	2.00
		2018-19	72	760.07
	योग		73	762.07
4.	2052	2018-19	3	72.50
	योग		3	72.50
5.	2055	2014-15	3	247.10
	2055	2016-17	3	305.00
	2055	2017-18	4	317.50
	2055	2018-19	7	453.50
	योग		17	1329.10
6.	2058	2018-19	1	0.41
	योग		1	0.41
7.	2070	2018-19	2	21.90
	योग		2	21.90
8.	2202	1989-90	1	0.30
		1990-91	1	0.30
		1992-93	1	0.26
		1996-97	1	0.09
		2018-19	1	1.03
	योग		5	1.98
9.	2204	2017-18	2	9.99
	2204	2018-19	9	15.05
	योग		11	25.04
10.	2210	2016-17	1	20.25
		2018-19	1	0.03
	योग		2	20.28
11.	2250	2018-19	1	5.00
	योग		1	5.00
12.	2245	2012-13	1	103.50
	योग		1	103.50
13.	2403	2017-18	1	0.09
	योग		1	0.09
14.	2406	2018-19	2	0.90
	योग		2	0.90
15.	2851	2018-19	3	16.50
	योग		3	16.50
16.	2853	2018-19	1	1.68
	योग		1	1.68
17.	3425	2018-19	8	18.31
	योग		8	18.31

क्रम संख्या	मुख्य शीर्ष	वर्ष	एसी बिलों की संख्या	राशि
18.	4202	1990-91	1	0.30
		1992-93	1	0.24
योग			2	0.54
19	4210	2017-18	2	2626.17
	4210	2018-19	4	131.26
योग			6	2757.43
20.	4853	2017-18	1	526.92
योग			1	526.92
कुल योग			167	6203.07

स्रोत: कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हक), राजस्थान द्वारा संकलित सूचना।

परिशिष्ट 3.1

(अनुच्छेद 3.2.1 देखें; पृष्ठ 107)

निकायों एवं प्राधिकरणों के नाम दर्शाने वाला विवरण-पत्र जिनके लेखे प्राप्त नहीं हुये

क्र.सं.	विभाग	स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के नाम	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जब से लेखे प्राप्त नहीं हुये
1.	उच्चतर शिक्षा	मोहनलाल सुखाडिया विश्वविद्यालय, उदयपुर	1	2017-18
2.	उच्चतर शिक्षा	महाराजा सुरजमल बृज विश्वविद्यालय, भरतपुर	1	2017-18
3.	उच्चतर शिक्षा	गोविन्द गुरु जन जातीय विश्वविद्यालय, बाडमेर	1	2017-18
4.	उच्चतर शिक्षा	राजर्षि भतृहरि मत्स्य विश्वविद्यालय, अलवर	1	2017-18
5.	शहरी विकास एवं आवास	जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर	1	2017-18
6.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, अलवर	1	2017-18
7.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, बारां	1	2017-18
8.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, बीकानेर	1	2017-18
9.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, बूंदी	1	2017-18
10.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, चित्तौड़गढ़	1	2017-18
11.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, चूरू	1	2017-18
12.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, झुन्झुनू	1	2017-18
13.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, पाली	1	2017-18
14.	श्रम	बाल श्रम परियोजना सोसायटी, उदयपुर	1	2017-18
15.	उद्योग	उद्योगिता एवं प्रबंध विकास संस्थान, जयपुर	1	2017-18
16.	उद्योग	किशनगढ़ मार्बल उद्योग विकास समिति, मदनगंज, अजमेर	1	2017-18
17.	उद्योग	आदित्य मिल्स लिमिटेड, किशनगढ़	1	2017-18
18.	कला एवं संस्कृति	जयपुर कथक केन्द्र, जयपुर	1	2017-18
19.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान ब्रज भाषा अकादमी, जयपुर	1	2017-18
20.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान ललित कला अकादमी, जयपुर	1	2017-18
21.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान संस्कृत अकादमी, जयपुर	1	2017-18
22.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान सिंधी अकादमी, जयपुर	1	2017-18
23.	कला एवं संस्कृति	रवीन्द्र मंच, जयपुर	1	2017-18
24.	कला एवं संस्कृति	राजस्थान पुरातत्व विकास प्राधिकरण, जयपुर	1	2017-18
25.	कला एवं संस्कृति	राजस्थानी भाषा साहित्य संस्कृति अकादमी, बीकानेर	1	2017-18
26.	कला एवं संस्कृति	भारतीय शिल्प एवं डिजाइन संस्थान, जयपुर	1	2017-18
27.	आयुर्वेद	राजस्थान राज्य औषधीय वनस्पति मण्डल, जयपुर	1	2017-18
28.	आयुर्वेद	राजस्थान होम्योपैथिक चिकित्सा बोर्ड, जयपुर	1	2017-18
29.	आयुर्वेद	राजस्थान राज्य आयुष सोसायटी, जयपुर	1	2017-18
30.	चिकित्सा एवं स्वास्थ्य	राजस्थान राज्य एडस कन्ट्रोल सोसायटी, जयपुर	1	2017-18
31.	चिकित्सा शिक्षा	राजस्थान स्वाथ्य विज्ञान विश्वविद्यालय, जयपुर	1	2017-18
32.	अल्पसंख्यक मामलात	राजस्थान अल्पसंख्यक आयोग, जयपुर	1	2017-18
33.	अल्पसंख्यक मामलात	राजस्थान मुस्लिम वक्फ बोर्ड, जयपुर	1	2017-18
34.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	राजस्थान राज्य समाज कल्याण बोर्ड, जयपुर	1	2017-18
35.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	श्री भगवान महावीर विकलांग सहायता समिति, जयपुर	1	2017-18
36.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	सेवा मंदिर, उदयपुर	1	2017-18
37.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	स्वच्छ जल एवं सामुदायिक स्वास्थ्य परियोजना, उदयपुर	1	2017-18

क्र.सं.	विभाग	स्वायत्त निकायों/प्राधिकरणों के नाम	बकाया लेखों की संख्या	वर्ष जब से लेखे प्राप्त नहीं हुये
38.	महिला एवं बाल विकास	हितकारी महिला आगनबांडी कार्यकर्ता प्रशिक्षण केन्द्र, कोटा	1	2017-18
39.	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्थान राज उड्डयन विद्यालय, सांगानेर हवाई अड्डा, जयपुर	1	2017-18
40.	प्रशासनिक सुधार एवं समन्वय	राजस्थान सूचना आयोग, जयपुर	1	2017-18
41.	पशुपालन	अलवर जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, अलवर	1	2017-18
42.	पशुपालन	उत्तरी राजस्थान सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, बीकानेर	1	2017-18
43.	पशुपालन	चित्तौड़गढ़ प्रतापगढ़ दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड, चित्तौड़गढ़	1	2017-18
44.	पशुपालन	चूरू जिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संघ लिमिटेड, सरदारशहर, चूरू	1	2017-18
45.	पशुपालन	सीकर झुन्झुनू दुग्ध उत्पादन सहाकारिता महासंघ, पलसाना, सीकर	1	2017-18
46.	पशुपालन	राजस्थान राज्य पशु चिकित्सा परिषद, जयपुर	1	2017-18
47.	पशुपालन	राजस्थान पशु चिकित्सा एवं पशु विज्ञान विश्वविद्यालय, बीकानेर	1	2017-18
48.	पशुपालन	राजस्थान कॉर्पोरेटिव डेयरी फेडरेशन लिमिटेड, जयपुर	1	2017-18
49.	कृषि	स्वामी केशवानन्द राजस्थान कृषि विश्वविद्यालय, बीकानेर	1	2017-18
50.	कृषि	कृषि विश्वविद्यालय, कोटा	1	2017-18
51.	पर्यावरण	राजस्थान राज्य प्रदूषण नियंत्रण मण्डल, जयपुर	1	2017-18
52.	खेल एवं युवा मामले	क्रीड़ा विश्वविद्यालय, झुन्झुनू	2	2016-18
53.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता	राजस्थान अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	2	2016-18
54.	जनजाति क्षेत्रीय विकास	जन जाति महिला विकास संस्थान, सर्वाईमाधोपुर	2	2016-18
55.	पशुपालन	श्री गंगानगर जिला दुग्ध उत्पादन सहकारी संघ लिमिटेड, हनुमानगढ़	2	2016-18
56.	कृषि	महाराणा प्रताप कृषि एवं तकनीकी विश्वविद्यालय, उदयपुर	2	2016-18
57.	उद्यान	राजस्थान उद्यान एवं पौधशाला उद्यान समिति, जयपुर (राजहंस)	2	2016-18
58.	सिंचाई	सिंचाई प्रबंधन एवं प्रशिक्षण संस्थान, कोटा	2	2016-18
59.	खेल एवं युवा मामले	राजस्थान क्रीड़ा परिषद, जयपुर	3	2015-18
60.	कृषि	कृषि विश्वविद्यालय, जोधपुर	3	2015-18
61.	सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग	राजस्थान अन्य पिछड़ा वर्ग वित्त एवं सहकारी निगम लिमिटेड, जयपुर	4	2014-18
62.	महिला एवं बाल विकास	महिला एवं बाल विकास (ल्यूपिन) परियोजना, कुम्हेर, भरतपुर	4	2014-18
63.	सहकारिता	राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड, जयपुर	6	2012-18
64.	कृषि	कृषि सेवा राजस्थान के सेवानिवृत्त सदस्यों की एसोसिएशन, जयपुर	11	2007-18
	योग		96	

परिशिष्ट 3.2

(अनुच्छेद 3.2.2 देखें; पृष्ठ 108)

स्वायत्त निकायों द्वारा पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को जारी करने तथा लेखों के प्रस्तुतिकरण में विलम्ब की स्थिति दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	निकाय का नाम	वर्ष जब तक के लेखें प्राप्त हुए	अवधि जब तक के पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदन जारी किये गये	पृथक लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों को विधानमण्डल में रखना	लेखों के प्रस्तुतिकरण में देरी	30.6.19 तक देरी की अवधि (माह में)
1	भवन एवं निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड (बीओसीडब्ल्यू)	2015-16	2014-15	-	2016-17 2017-18	24 12
2	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, चित्तौड़गढ़	2016-17	2015-16	सूचना प्राप्त नहीं हुई	2017-18	12
3	जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, सिरौही	2016-17	2016-17	सूचना प्राप्त नहीं हुई	2017-18	12

स्रोत: सम्बन्धित विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.3

(अनुच्छेद 3.3 देखें; पृष्ठ 108)

विभागीय प्रबंधित वाणिज्यिक एवं अर्द्ध-वाणिज्यिक उपक्रमों में सरकारी निवेश एवं लेखाओं के अंतिमीकरण का विवरण-पत्र

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	उपक्रम का नाम	तक लेखाओं का अंतिमीकरण	विगत अंतिमीकरण किये लेखों के अनुसार निवेश ⁹	कुल संचित हानि
1	जेल विनिर्माण, अजमेर	2016-17	2.56	2.32
2	जेल विनिर्माण, अलवर	2016-17	0.75	0.78
3	जेल विनिर्माण, बीकानेर	2016-17	1.63	1.52
4	जेल विनिर्माण, जयपुर	2015-16	2.31	2.98
5	जेल विनिर्माण, जोधपुर	2018-19	2.61	2.31
6	जेल विनिर्माण, कोटा	2017-18	0.46	0.74
7	जेल विनिर्माण, उदयपुर	2016-17	2.42	1.92
8	वन कूपों का विभागीय व्यापार	2015-16	शून्य ¹⁰	-
9	तेन्दू पत्ता योजना	2016-17	शून्य ¹⁰	-
10	राजस्थान जल प्रदाय एवं सीवरेज प्रबंधन मंडल, जयपुर	2016-17	16,873.09	13,845.29
	योग		16,885.83	13,857.86

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

⁹ निवेश वित्तीय वर्ष, जब तक लेखों का अंतिमीकरण किया गया, के अंतिम दिवस को सरकार के स्थाई एवं वर्तमान पूँजी लेखों के शेष को दर्शाते हैं।

¹⁰ सरकार का पूँजी निवेश शून्य है क्योंकि उपक्रमों से प्रेषण, सरकार द्वारा निवेशित राशि से अधिक थे।

परिशिष्ट 3.4

(अनुच्छेद 3.4 देखें; पृष्ठ 109)

दुर्विनियोजन, चोरी/हानि इत्यादि के लम्बित प्रकरणों का विभागवार/अवधिवार विभाजन (प्रकरण जहां जून 2019 के अन्त तक अंतिम कार्यवाही लम्बित थी)

(प्रकरणों की संख्या)

क्र. सं.	विभाग का नाम	5 वर्षों तक	5 से 10 वर्ष	10 से 15 वर्ष	15 से 20 वर्ष	20 से 25 वर्ष	25 वर्ष एवं अधिक	प्रकरणों की कुल संख्या
1.	राजस्व	13	14	16	10	06	01	60
2.	शिक्षा	64	43	36	17	13	12	185
3.	चिकित्सा	15	25	11	08	09	04	72
4.	सार्वजनिक निर्माण	01	02	00	03	16	07	29
5.	जल संसाधन	00	00	01	01	01	00	3
6.	भू-जल	00	02	03	03	02	00	10
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	00	00	00	01	00	01	2
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	01	01	05	03	00	01	11
9.	वन	01	02	00	00	01	01	5
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	25	23	49	49	44	35	225
11.	न्याय	01	03	03	02	00	04	13
12.	पुलिस	05	05	05	02	02	03	22
13.	महिला एवं बाल विकास	02	02	03	01	01	01	10
14.	स्वायत्त शासन विभाग	00	00	01	06	00	00	7
15.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	71	08	09	12	09	06	115
16.	विविध	20	08	21	06	04	03	62
	योग	219	138	163	124	108	79	831

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.5

(अनुच्छेद 3.4 देखें; पृष्ठ 109)

सरकारी सामग्री की चोरी, दुर्विनियोजन/हानि के कारण सरकार को हुई हानि का विभागवार/श्रेणीवार विवरण

(₹ लाख में)

क्र. सं.	विभाग का नाम	चोरी/हानि के प्रकरण		दुर्विनियोजन/गबन		योग	
		प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि	प्रकरणों की संख्या	राशि
1.	राजस्व	28	177.19	32	1,132.13	60	1,309.32
2.	शिक्षा	110	141.21	75	1,283.32	185	1,424.53
3.	चिकित्सा	23	248.11	49	471.72	72	719.83
4.	सार्वजनिक निर्माण	06	26.46	23	482.47	29	508.93
5.	जल संसाधन	01	0.05	02	33.95	3	34.00
6.	भू-जल	08	11.44	02	3.40	10	14.84
7.	सिंचित क्षेत्र विकास, इंदिरा गांधी नहर परियोजना	02	4.12	00	0.00	2	4.12
8.	इंदिरा गांधी नहर परियोजना	06	12.56	05	69.73	11	82.29
9.	वन	03	26.42	02	77.32	5	103.74
10.	जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग	208	205.63	17	90.42	225	296.05
11.	न्याय	04	1.67	09	15.43	13	17.10
12.	पुलिस	14	53.08	08	33.38	22	86.46
13.	महिला एवं बाल विकास	04	5.11	06	8.14	10	13.25
14.	स्वायत्त शासन विभाग	01	1.94	06	40.67	7	42.61
15.	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग	59	1,079.58	56	1,195.49	115	2,275.07
16.	विविध	26	124.54	36	888.11	62	1,012.65
	योग	503	2,119.11	328	5,825.68	831	7,944.79

स्रोत: विभागों से प्राप्त सूचनानुसार।

परिशिष्ट 3.6

(अनुच्छेद 3.5.4 देखें; पृष्ठ 115)

वर्ष 2014-19 के दौरान अप्रचलित रहे निजी निक्षेप (पीडी) खातों का ब्यौरा दर्शाने वाला विवरण-पत्र

(₹ लाख में)

क्र. सं.	आहरण एवं संवितरण अधिकारी का नाम	2014-19 के दौरान शेष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बताये गये कारण
1	उप निदेशक, कृषि, अजमेर	0.30	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
2	अधीक्षक, आईटीआई महिला, अजमेर	0.51	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
3	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, अलवर	0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
4	अधीक्षक, आईटीआई महिला, बाड़मेर	1.95	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
5	अधीक्षक, आईटीआई महिला, भरतपुर	0.90	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
6	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, भरतपुर	0.01	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
7	सरकारी महाविद्यालय, पहाड़ी	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
8	सरकारी महाविद्यालय, कामां	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
9	अधीक्षक, आईटीआई गुलाबपुरा, भीलवाड़ा	1.64	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
10	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, भीलवाड़ा	0.14	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
11	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, भीलवाड़ा	0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
12	प्राचार्य सरकारी महाविद्यालय, रायपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
13	प्राचार्य सरकारी महाविद्यालय, डुंगरगढ़, बीकानेर	0.00	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
14	कलक्टर सिविल डिफेंस एसटीजी, सूरतगढ़, श्रीगंगानगर	0.40	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
15	उप निदेशक (आईसीडीएस), महिला विकास प्राधिकारी, श्रीगंगानगर	0.82	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
16	उप निदेशक (सीडी), महिला एवं बाल विकास विभाग, हनुमानगढ़	0.10	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
17	निदेशक, ईएसआई, जयपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
18	भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
19	एमडी, राजस्थान राज्य हैण्डलूम सहकारिता, जयपुर (सचिवालय)	2.19	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
20	राजस्थान राज्य विद्युत वित्त निगम लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय)	0.10	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
21	राजस्थान एक्स-एसई, जयपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
22	राजस्थान संवाद	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
23	राजस्थान सहकारी वित्त एवं विकास निगम लिमिटेड	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
24	राजस्थान वेटेनरी सर्विस कॉरपोरेशन लिमिटेड, जयपुर (सचिवालय)	0.00	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
25	मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जैसलमेर	4.10	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
26	मैनेजर, भारतीय जीवन बीमा निगम, जैसलमेर	1.75	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
27	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, जैसलमेर	0.02	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
28	सहकारिता रजिस्ट्रार, जालौर	0.35	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
29	पुलिस अधीक्षक एवं उप पुलिस अधीक्षक, गृह रक्षा प्रशिक्षण	0.00	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
30	उप निदेशक, कृषि (विस्तार), जोधपुर	0.00	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
31	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, पाली	0.35	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
32	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, ओबीसी, पाली	0.47	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
33	अधीक्षक, आईटीआई, शिवगंज, सिरोंही	0.89	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
34	अधीक्षक डीडी डीआरसीटीईडी. प्रतापनगर, उदयपुर (शहर)	0.06	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
35	नवीन मोटर वाहन अग्रिम, एसबीबीजे, उदयपुर (शहर)	0.04	पीडी खाता बन्द किया जा चुका है।
36	भवन निर्माण अग्रिम, एसबीबीजे, नई दिल्ली	1.22	विभाग द्वारा सूचित नहीं किया गया।
	योग	18.35	

परिशिष्ट 4.1

पदों की पारिभाषिक शब्दावली

पद	गणना का आधार
पैमाने की उत्प्लावकता	पैमाने की वृद्धि दर/जीएसडीपी वृद्धि दर
एक पैमाने (क) की अन्य पैमाने (ख) से उत्प्लावकता	पैमाने (क) की वृद्धि दर/ पैमाने (ख) की वृद्धि दर
वृद्धि दर	$[(\text{चालू वर्ष की राशि/पूर्व वर्ष की राशि})-1]*100$
विकासात्मक व्यय	सामाजिक सेवाएं + आर्थिक सेवाएं
राज्य द्वारा अदा किया गया औसत ब्याज	ब्याज भुगतान/[(पूर्ववर्ती वर्ष की राजकोषीय देयताओं + वर्तमान वर्ष की राजकोषीय देयताओं की राशि)/2]*100
रोकड़ शेष के निवेश से प्राप्त औसत ब्याज	रोकड़ शेष निवेश से प्राप्त ब्याज/[(प्रारम्भिक शेष + रोकड़ शेष निवेश लेखे के अंतिम शेष)/2]*100
ब्याज विस्तार	जीएसडीपी वृद्धि दर - औसत ब्याज दर
प्रमात्रा विस्तार	ऋण स्टॉक* ब्याज विस्तार
बकाया ऋण पर प्राप्त ब्याज का प्रतिशत	प्राप्त ब्याज [(कर्जों तथा अग्रिमों का प्रारम्भिक शेष + कर्जों तथा अग्रिमों का अंतिम शेष)/2]*100
राजस्व घाटा	राजस्व प्राप्तियाँ - राजस्व व्यय
राजकोषीय घाटा	राजस्व व्यय + पूँजीगत व्यय + निवल ऋण एवं अग्रिम- राजस्व प्राप्तियाँ - विविध पूँजीगत प्राप्तियाँ
प्रारम्भिक घाटा	राजकोषीय घाटा - ब्याज भुगतान
पद	विवरण
विनियोग लेखे	विनियोग लेखे विधानमण्डल द्वारा अधिकृत बजट अनुदानों के अन्तर्गत प्रत्येक दत्तमत अनुदान एवं प्रभारित विनियोजन में निधियों (मूल तथा अनुपूरक) की कुल राशि की तुलना में प्रत्येक के अन्तर्गत किये गये वास्तविक व्यय तथा प्रत्येक अनुदान या विनियोजन में अव्ययीत प्रावधानों अथवा अधिक को प्रस्तुत करते हैं। अनुदानों से अधिक किसी भी व्यय का विधानमण्डल द्वारा नियमन करवाया जाना अपेक्षित है।
स्वायत्तशापी निकाय	स्वायत्तशापी निकाय (सामान्यतः पंजीकृत समितियाँ अथवा सांविधिक निगम) का गठन तब किया जाता है जब-जब यह अनुभव किया जाता है कि निश्चित कार्य सरकार के ढाँचे से बाहर कुछ स्वतन्त्र और लचीलेपन के बिना सरकार के दिन-प्रतिदिन के हस्तक्षेप के पूरा करने की आवश्यकता है।
प्रतिबद्ध व्यय	राज्य सरकार के राजस्व लेखे पर प्रतिबद्ध व्यय में मुख्यतः ब्याज अदायगियाँ, वेतन एवं मजदूरी पर व्यय, पशन तथा अर्थ-सहाय्य शामिल हैं, जिन पर वर्तमान कार्यकारी का सीमित नियंत्रण है।
राज्य की कार्यकारी एजेन्सी	राज्य की कार्यकारी एजेन्सी में किसी संगठन/संस्थान के साथ-साथ गैर-सरकारी संगठन भी शामिल है जिन्हें राज्य में विशिष्ट कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार से निधियाँ प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार द्वारा अधिकृत किया गया है, जैसे-सर्व शिक्षा अभियान के लिये राज्य क्रियान्वयन समिति तथा राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, इत्यादि के लिये राज्य स्वास्थ्य मिशन।

पद	विवरण
आकस्मिकता निधि	विधानमण्डल द्वारा अग्रदाय की प्रकृति के रूप में विधि द्वारा आकस्मिकता निधि स्थापित की गई है जिसमें उस विधि द्वारा निर्धारित राशियाँ समय-समय पर प्रदान की जाती है तथा उक्त निधि राज्यपाल के अधिकार में रखी जाती है जो लम्बित अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के उद्देश्य से संविधान के अनुच्छेद 115 अथवा अनुच्छेद 116 के अधीन विधानमण्डल द्वारा प्राधिकृत उस व्यय के लिये उसके द्वारा अग्रिम के रूप में प्रदान की जाती है।
राज्य की समेकित निधि	भारत के संविधान के अनुच्छेद 266(1) के अधीन स्थापित निधि है जिसमें सभी प्राप्तियाँ, राजस्व एवं ऋण रखे जाते हैं। राज्य की समेकित निधि से सम्पूर्ण व्यय विनियोजन राजस्व या प्रभारित द्वारा होता है। इसके दो मुख्य प्रभाग हैं-राजस्व लेखा (राजस्व प्राप्तियाँ एवं राजस्व व्यय) एवं पूँजीगत लेखा (लोक ऋण एवं कर्जें इत्यादि) पर निर्भर करते हुए बनते अथवा नहीं बनते हैं।
संदिग्ध दायित्व	संदिग्ध दायित्व किसी स्वतंत्र इकाई द्वारा भविष्य की घटना पर निर्भर करते हुए बनते अथवा नहीं बनते हैं जैसे न्यायालय के प्रकरण के परिणाम
गारंटी मोचन निधि	गारंटियाँ उधारकर्ता जिसे गारंटी दी गई है की चूक की स्थिति में राज्य की समेकित निधि पर आकस्मिक देयतायें हैं। गारंटी मोचन निधि के प्रावधानों के अनुसार, राज्य सरकार को चाहिये कि भुनायी जाने योग्य बकाया गारंटियों के साथ वर्ष के दौरान दी गई उत्तरोत्तर गारंटियों के परिणामस्वरूप भुनाये जाने योग्य राशि का कम से कम 1/5 वाँ भाग के बराबर अंशदान देवें।
आंतरिक ऋण	आंतरिक ऋण में भारत की जनता से लिये गये नियमित ऋण शामिल है, जिसे "भारत में लिये गये ऋण" भी कहा जाता है। यह समेकित निधि में जमा किये गये ऋणों तक ही सीमित है।
प्राथमिक राजस्व व्यय	प्राथमिक राजस्व व्यय से आशय उस राजस्व व्यय से है जिसमें ब्याज अदायगियाँ शामिल नहीं हैं।
पुनर्विनियोजन	विनियोग की एक प्राथमिक इकाई से दूसरी ऐसी इकाई को निधियों का अन्तरण है।
अव्ययीत प्रावधान का अभ्यर्पण	राज्य सरकार के सभी विभागों को उनके द्वारा नियंत्रित अनुदानों अथवा विनियोजनों में दृष्टिगत हुए सभी प्रत्याशित अव्ययीत प्रावधानों को, वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व, वित्त मंत्रालय को अभ्यर्पित करना होता है। वित्त मंत्रालय इन अभ्यर्पणों की स्वीकृति, जैसा उसके द्वारा स्वीकृत किये गये हैं, लेखा अधिकारी तथा/अथवा लेखापरीक्षा अधिकारी जैसा भी मामला हो, को वित्त वर्ष समाप्ति से पूर्व सम्प्रेषित करेगा।
अनुपूरक अनुदान	संविधान के अनुच्छेद 114 के प्रावधानों के अनुसार बनाई गई किसी विधि द्वारा विशिष्ट सेवा पर चालू वित्तीय वर्ष हेतु व्यय किये जाने के लिये प्राधिकृत कोई राशि उस वर्ष के प्रयोजनों के लिये अपर्याप्त पाई जाती है या उस वर्ष के लिए मूल बजट में अनपेक्षित किसी "नई सेवा" पर अनुपूरक या अतिरिक्त व्यय की आवश्यकता चालू वित्तीय वर्ष के दौरान पैदा हो चुकी है तो सरकार को संविधान के अनुच्छेद 115(1) के अनुसार अनुपूरक अनुदान अथवा विनियोजन प्राप्त करना होगा।

पद	विवरण
उच्चत एवं विविध	प्राप्ति एवं भुगतान की मर्दे जिन्ह. तुरन्त किसी अन्तिम शीर्ष या प्रभार में सूचना की कमी जैसे उसकी प्रकृति या अन्य कारणों से प्रभारित नहीं किया जा सकता है, को अस्थायी तौर पर लेखों के सैक्टर 'एल' के "उच्चत एवं विविध" भाग के अन्तर्गत मुख्य शीर्ष "8658-उच्चत लेखा" में रखा जायेगा। (अग्रेतर मार्गदर्शन के लिये लेखों के मुख्य/लघुशीर्षों की सूची के अन्तर्गत फुट नोट का संदर्भ लें)। किसी सेवा प्राप्ति जिसका पूरा ब्यौरा न दिया गया हो को "उच्चत शीर्ष" में नहीं रखा जाना चाहिए बल्कि उसे राजस्व मुख्य शीर्ष के अन्तर्गत "अन्य प्राप्ति" लघु शीर्ष जिससे वह सम्बन्धित लगता हो में विस्तृत विवरण प्राप्त होने तक उसका अन्तरण सही शीर्ष में लम्बित रखते हुए, जमा किया जाना चाहिए।
जन लेखा समिति	राज्य के विनियोग लेखे, राज्य के वार्षिक वित्त लेखे से सम्बन्धित भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदनों के परीक्षण अथवा ऐसे अन्य लेखे अथवा वित्त सम्बन्धी प्रकरणों जो समिति के सम्मुख रखे जाते हैं या जिनकी समिति संवीक्षा करना आवश्यक समझती है, के लिए विधानमण्डल द्वारा गठित एक समिति है।
कोर पब्लिक गुड्स एण्ड मैरिट गुड्स	कोर पब्लिक गुड्स वह साधन एवं सेवाएँ हैं जिसका सभी नागरिक समान रूप से उपयोग करते हैं एवं प्रत्येक व्यक्ति द्वारा इनके उपयोग करने से किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उसी सामग्री के उपभोग करने में कमी नहीं आती है, उदाहरणार्थ कानून एवं व्यवस्था का प्रवर्तन, हमारे अधिकारों की सुरक्षा एवं संरक्षण, प्रदूषण रहित वायु तथा सड़क आधारभूत संरचनाएँ इत्यादि। मैरिट गुड्स ऐसे सामान हैं जिन्हें सार्वजनिक क्षेत्र निःशुल्क अथवा रियायती दरों पर उपलब्ध कराता है क्योंकि वे किसी व्यक्ति तथा समाज के पास, सरकार को भुगतान करने की इच्छा एवं क्षमता के बजाय, आवश्यकता के आधार पर होने चाहिए। इन सामानों की व्यवस्था के उदाहरणों में गरीबों को पोषण देने के लिए निःशुल्क अथवा रियायती दर पर खाद्यान्न, अस्वस्थता में कमी एवं जीवन स्तर में सुधार करने के लिए स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करना, सभी को बुनियादी शिक्षा प्रदान करना, पीने का पानी, सफाई व्यवस्था इत्यादि हैं।
विकासात्मक व्यय	व्यय के आँकड़ों के विश्लेषण को विकासात्मक एवं गैर-विकासात्मक व्यय में अलग-अलग किया गया है। राजस्व लेखे, पूँजीगत परिव्यय तथा कर्जे एवं अग्रिम से सम्बन्धित सभी व्ययों को सामाजिक सेवाओं, आर्थिक सेवाओं एवं सामान्य सेवाओं में श्रेणीबद्ध किया गया है। मोटे तौर पर सामाजिक एवं आर्थिक सेवाएँ विकासात्मक व्यय बनाते हैं, जबकि सामान्य सेवाओं पर व्यय को गैर-विकासात्मक व्यय माना गया है।

परिशिष्ट 4.2

सारांशों की सूची

मदें	पूर्ण विवरण
एसी बिल	सारांशीकृत आकस्मिक बिल
ए ई	समग्र व्यय
बी ई	बजट अनुमान
सी ई	पूँजीगत व्यय
सी एस एस	केन्द्रीय प्रवर्तित योजना
डीसी बिलों	विस्तृत आकस्मिक बिलों
डी एम एफ टी	जिला खनिज फाउण्डेशन ट्रस्ट
ई डब्ल्यू एस	आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग
एफआरबीएम	राजवित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन
XIV-एफसी	चौदहवें वित्त आयोग
जीसीएस	सामान्य श्रेणी राज्य
सावि एवं लेनि	सामान्य वित्तीय एवं लेखा नियम
जीआरबी	जेंडर रिस्पॉन्सिव बजटिंग
जीडीपी	सकल घरेलू उत्पाद
जीएसडीपी	सकल राज्य घरेलू उत्पाद
जीएसटी	वस्तु एवं सेवा कर
एचएलसी	उच्च स्तरीय समिति
एचएलएमसी	उच्च स्तरीय अनुश्रवण कमेटी
हुडको	आवासन तथा नगरीय विकास निगम
आईएफएमएस	एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली
एलएसजीडी	स्वायत्त शासन विभाग
एमटीएफपीएस	मध्यकालिक राजवित्तीय नीति विवरण
एमजीएस	मिशन ग्राम्य शक्ति
एनआईसी	राष्ट्रीय सूचना केन्द्र
एनएसडीएल	नेशनल सिक्यूरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड
एनपीएस	नवीन अंशदायी पेंशन योजना
पीएफआरडीए	पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण
पीडी	निजी निक्षेप
पीएमएमवीवाई	प्रधानमंत्री मातृत्व वंदन योजना
पीएसी	जन लेखा समिति
पीपीपी	निजी जन सहभागिता
पीडब्लूडी	सार्वजनिक निर्माण विभाग

मदें	पूर्ण विवरण
आरआरएलपी	राजस्थान ग्रामीण आजीविका परियोजना
आरडीपीआरडी	ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
आर.आर	राजस्व प्राप्तियाँ
आर.ई	राजस्व व्यय
आर.ई	संशोधित अनुमान
एसजीएसटी	राज्य वस्तु एवं सेवा कर
रा.ब.नि.	राज्य बजट नियमावली
एसआईपीएफ	राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि
एसडीआरएफ	राज्य आपदा मोचन निधि
एससीएडीए	पर्यवेक्षी नियंत्रण और डाटा अधिग्रहण
टीएडी	जनजाति क्षेत्रीय विकास
यू सी	उपयोगिता प्रमाण-पत्रों
उदय	उज्ज्वल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना
डब्ल्यूसीडी	महिला एवं बाल विकास
जेड पी	जिला परिषद